सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

19 दिसम्बर, 2022

सप्तदश विधान सभा — सोमवार, तिथि 19 दिसम्बर, 2022 ई0

सप्तम सत्र — 28 अग्रहायण, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रश्नकाल हो जाने दीजिए और अगर उसके बाद आपको कुछ कहना होगा तो मैं आपकी बातों को सुनूंगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव है...

(व्यवधान)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, 355 करोड़ का बालू घोटाला हो गया है, इस...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन को बिना आग्रह किये हुए आप खड़े हो जाते हैं, क्या नेता प्रतिपक्ष इतने कमजोर हैं ? माननीय सदस्यगण, मैं आपलोगों से कहना चाहता हूँ कि चूंकि प्रश्नकाल को मैंने पुकार दिया है, इसलिए मैंने कहा कि आपको समय दूंगा...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कभी आप लोग भी प्रतिपक्ष में थे । महोदय यह परंपरा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने प्रश्नकाल के लिए पुकार दिया है फिर भी...

(व्यवधान)

मैं आपसे कह रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष कि आपके माननीय सदस्य, अदरणीय सदस्य लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं, यह प्रमाणित होता है कि क्या आप कमजोर हो गये हैं कि इनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है ?

(व्यवधान)

मैंने प्रश्नकाल के लिए पुकार दिया है फिर भी नेता प्रतिपक्ष मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूँ ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ये सदन के अंदर, छपरा में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौतों की न्यायिक जाँच के लिए न्यायिक जाँच आयोग गठित की जाय । इस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव भी आया है । महोदय, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाय और सदन में इस पर विमर्श हो । मेरा प्रस्ताव है कि छपरा में मरे सैकड़ों लोगों के लिए सदन में शोक प्रकट किया जाय । अध्यक्ष महोदय, उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 42 के तहत गोपालगंज में चार-चार लाख मुआवजा पीड़ितों को मिला था । महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि मेरी अनुपस्थिति में आसन द्वारा मेरे संबंधी के संबंध में सरकार को जाँच का निर्देश दिया गया, इसकी प्रति सदन पटल पर रखी जाय । यह आरोप महोदय झूठा है, एफ0आई0आर0 में कहीं चौहदी में भी नाम नहीं है और महोदय जो पकड़ाया है इसे देख लीजिए कि जदयू का पोस्टर लगाकर, किनके कार्यकर्ता हैं ? महोदय, या तो प्रोसीडिंग से यह, गलत आरोप लगाने वाले क्षमा मांगें महोदय, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि किसी विधायक की विधायिका को बिना जाँचे-परखे गलत आरोप लगाना, यह गलत है महोदय ।

महोदय, आपको एक बधाई भी देनी है कि आजादी के बाद पहली बार इतिहास के पन्नों में 50 मिनट हमारे बोलने के क्रम में 113 बार आपका टोका-टिप्पणी और अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया, महोदय इसके लिए बधाई है लेकिन प्रोसीडिंग से इसको हटाया जाय । ऐसे शब्द कहीं-न-कहीं सदन की गरिमा को और आसन की गरिमा को नहीं बढ़ाता है । महोदय, इससे आसन की गरिमा, आने वाली भावी पीढ़ी कहीं-न-कहीं लज्जित होगी महोदय । हर मिनट में दो-दो बार टोका गया महोदय..

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आपके द्वारा जो कहा गया उसे आसन ने सुन लिया है । मैं अब चाहूँगा कि ...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, उस पर जाँच हो । जांच के लिए, संसदीय कार्य मंत्री बोले हैं, इसे सभा पटल पर तो रखा जाय ।

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।
माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

<u>प्रश्नोत्तर काल</u>

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-27 (श्री जिवेश कुमार, क्षेत्र सं0-87, जाले)</u>

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-28 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र सं0-15, केसरिया)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत कुल प्रावधनित बजट 30 करोड़ रुपये में से 29.6421 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर मा0 वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश सं0-456 स्वी0, दिनांक- 13.12.2022 निर्गत किया जा चुका है । आवंटन आदेश निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

3- उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा । उत्तर आपको मिल गया है, आप उसमें जो पूरक पूछना चाहती हैं पूछें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने खंड-1 का उत्तर स्वीकारात्मक दिया है । वर्ष 2020-21 में 13 करोड़ आवंटित राशि के विरूद्ध सिर्फ 03 करोड़ रुपये खर्च हुए और वर्ष 2021-22 में 28 करोड़ 50 लाख रुपये के विरूद्ध सिर्फ 10 करोड़ 97 लाख रुपये ही खर्च हुए । मैं जानना चाहती हूँ कि आवंटित राशि के विरूद्ध इतनी कम राशि खर्च होने का क्या औचित्य है? माननीय मंत्री बताने की कृपा करें ।..

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : मार्शल, आप माननीय सदस्यों के हाथों से पोस्टर ले लीजिए । पोस्टर लेकर सदन में आना सख्त मना है, पोस्टर ले लीजिए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । नेता प्रतिपक्ष को मैंने समय दिया और नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें कह दीं इसके बावजूद भी आपलोग क्यों वेल में आ रहे हैं ? नेता प्रतिपक्ष ने समय माँगा, मैंने समय दिया और इन्होंने अपनी बात कह दी । अब आपलोग अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न शुरू हो गया है । आप जो कर रहे हैं यह उचित नहीं है ।

माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा जी आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहती हूं कि वर्ष 2020-21 में 13 करोड़ राशि आवंटित की गयी और सिर्फ 03 करोड़ राशि खर्च हुई...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मार्शल, आप पोस्टर ले लीजिए । पोस्टर हटाइये । पोस्टर लेकर सदन में आना सख्त मना है, यह नियम के विरूद्ध है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : और महोदय 2021-22 में महोदय 28 करोड़ 50 लाख के विरूद्ध सिर्फ 10 करोड़ 97 लाख रुपये ही खर्च हुए । मैं यह जानना चाहती हूँ कि कम राशि खर्च करने का क्या औचित्य है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में 13 करोड़ 13 लाख के बजाय 03 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च किये गये..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : इनके पोस्टर को लीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : और वर्ष 2021-22 में भी 28 करोड़ 50 लाख के बजाय 10 करोड़ 97 लाख रुपये खर्च किये गये । यह खर्च इसलिए कम है क्योंकि वह पूरा का पूरा समय कोरोना काल का था और उस कोरोना काल में ऐसी स्थिति थी कि उस समय विभाग के अंदर कर्मियों का भी अभाव था...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आसन से निर्देश के बावजूद आपलोग पोस्टर लेकर खड़े हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, दूसरा है कि गन्ना विकास योजना के तहत जो पैसे दिये जाने थे उसमें जो बिल रेट हुआ उसी के हिसाब से पैसा दिया गया ।..

(क्रमशः)

टर्न-2/हेमन्त/19.12.2022

श्री आलोक मेहता, मंत्री (क्रमशः) : अब यदि माननीय सदस्या के संज्ञान में कोई सूची हो, जिन लोगों का बकाया हो, उन लोगों को भी दिया जायेगा और उसके आगे की योजना को अब बिल्कुल अपडेट करके चलाने का विचार सरकार रखती है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत चयनित प्रभेद के निर्बंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि को 210 रुपये, अनुसूचित जाति को 240 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देने का.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप पोस्टर लेकर खड़ी हुई हैं । यह बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है । आप लोग इनसे पोस्टर ले लीजिए, पोस्टर लीजिए । पोस्टर लेकर खड़ा होना सही नहीं है । यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती के लिए आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं । सदन की कार्यवाही में आप बाधा डालते हैं । अगर ऐसा ही रहा तो आसन अपने स्तर से भी, यह जो अमर्यादित काम हो रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत चयनित प्रभेद के निर्बंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि को 210 रुपये, अनुसूचित जाति को 240 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देने का प्रावधान है । सरकार ने 2020-21, 2021-22 में कितने अनुदान के लिए आवेदन जमा हुआ, कितना सरकार ने दिया और सरकार कृषि विभाग के...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्रीमती शालिनी मिश्रा जी अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कहें । नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है कि आप अपने सदस्यों को बैठायें, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय,...

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनिये । संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप बोलें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम उन्हीं की बात पर कह रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप ही की बात पर कह रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप ही की बात पर कह रहे हैं । इनको तो बैठाइये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वह तो बाद की बात है । नेता प्रतिपक्ष, जब संसदीय कार्य मंत्री आपके द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर कुछ कहना चाहते हैं, तो अपने सदस्यों को अपने आसन पर बैठाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इनको बैठाइये तब न कहेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वह बाद की बात है, पहले बैठाइये तो । मंत्री जी को मैंने खड़ा करा दिया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इन्हीं की बात पर कहना चाहता हूं, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहते हैं ।

अध्यक्ष : आप कहिये ।

(व्यवधान जारी)

आप कृपया शांति बनाये रखें । माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है उसी पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पिछले दिनों शकील अहमद खां जी ने कोई मामला उठाया था और आसन से निदेश हुआ था कि सरकार इसको दिखवा ले । हमने सरकार की तरफ से कहा था कि सरकार इस मामले को दिखवा लेगी, आसन के निदेश के मुताबिक, हमने यही कहा था । आज नेता प्रतिपक्ष कोई तस्वीर दिखा रहे हैं । हमें नहीं मालूम है कि वह किसकी तस्वीर है । किसी की तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई कागज दिखा रहे हैं । सरकार को मालूम नहीं है कि वह किसकी तस्वीर है, वह कौन आदमी है । लेकिन इतना हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करते हैं कि चाहे वह किसी की तस्वीर हो, कोई आदमी हो । अगर शराब कांड में वह संलिप्त होगा या शराब का कारोबार करता होगा, तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, आप सारी सूचना लेने दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्रीमती शालिनी मिश्रा जी का जो प्रश्न था, उसमें उनका दूसरा पूरक था । माननीय मंत्री गन्ना विभाग, आप उनके पूरक का जवाब दें ।

श्री आलोक मेहता, मंत्री : महोदय, जो पूरक प्रश्न है उससे संबंधित जवाब माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपनी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री को दे दें ।

माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0: 29(श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0-187, मनेर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक-02.11.2018 को नवीन पुलिस केन्द्र, पटना में घटित हिंसक घटना यातायात में प्रतिनियुक्त महिल प्रशिक्षु सिपाही/1591, सविता कुमारी पाठक की बीमारी से मृत्यु के उपरांत पटना जिलाबल में कार्यरत प्रशिक्षु सिपाहियों के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक(प्रारक्ष) के कार्यालय एवं उनके आवास पर उनके एवं उनके परिवार के साथ मार-पीट एवं तोड़-फोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया था ।

उक्त संदर्भ में नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य पटना एवं नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी पटना के द्वारा संयुक्त रूप से जांच प्रतिवेदन कार्यालय पत्रांक-2221/गो0, दिनांक-03.11.2018 के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को समर्पित किया गया । जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पटना जिलाबल में नवनियुक्त महिला सिपाही/1591, सविता कुमारी पाठक का ईलाज के क्रम में मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव को नवीन पुलिस केन्द्र, पटना में आने के बाद पटना जिला बल के नवनियुक्त महिला/पुरुष सिपाही एकत्र होकर पदाधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे । लगभग 150-200 की संख्या में कर्मियों द्वारा अपने हाथ में लाठी-डंडा के साथ रक्षित कार्यालय स्थित पुलिस उपाधीक्षक, प्रारक्ष कार्यालय के सभी सामानों यथा कम्प्यूटर, टीवी, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, ए0सी0 इत्यादि को तोड़-फोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया । साथ ही, पुलिस उपाधीक्षक, प्रारक्ष, पटना के आवास पर हमला कर उनके एवं परिवार के साथ हाथ, पैर एवं डंडा से मारपीट करने लगे । इस घटना के संबंध में बुद्धा कॉलोनी थाना कांड सं0- 435/18, 436/18, 437/18 एवं 438/18 दर्ज किया गया ।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर पटना जिलादेश सं0- 4522/18 तत्संबंधी ज्ञापांक-13624/र0का0, दिनांक-04.11.2018 के द्वारा कुल 158 प्रशिक्षु सिपाही को सिपाही होने में अयोग्य पाते हुए उनकी सेवा समाप्त की गयी एवं पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना के ज्ञपांक-4022/गो0, दिनांक-04.11.2018 के द्वारा घटना में संलिप्त प्रशिक्षु सिपाहियों के अलावे अन्य चार(04) पुलिसकर्मियों (हवलदार/सिपाही) को सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया । तद्नुसार पटना जिलादेश सं0-4528/2018, तद्नुसार ज्ञापांक-13625/र0का0, दिनांक-04.11.2018 के द्वारा कुल चार(04) स्थायी पुलिसकर्मियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 311 (II) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से बर्खास्त किया गया ।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0- 23925/2018, 25015/2018, 22908/18, 22996/2018, 726/2019 एवं 1151/2019 में दिनांक-03.05.2021 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में क्रमशः पटना जिलादेश सं0-3005/2021 के द्वारा-139, जिलादेश सं0-3591/2021 के द्वारा-01, जिलादेश सं0-4050/2021 के द्वारा कुल-05, जिलादेश सं0-4353/21 के द्वारा-01, कुल-147 सिपाहियों को उनके विरुद्ध बुद्धा कॉलोनी थाना अन्तर्गत थाना काण्ड में प्राथमिकी अभियुक्त रहने के कारण निलम्बित अवस्था में सेवा में वापस लेते हुए इन सबों के विरुद्ध कर्तव्य में बरती गयी लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उद्दंडता के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गयी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र, बड़े विस्तृत तरीके से माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दिया है ।

टर्न-3/धिरेन्द्र/19.12.2022

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आसन के संरक्षण की जरूरत है । 144 सिपाहियों को जो बर्खास्त किया गया है उसमें पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित की संख्या ज्यादा है और विभागीय कार्यवाही के संपादन की अवधि सरकार द्वारा तीन माह निर्धारित है तो लगभग दो वर्षों के उपरांत भी विभागीय कार्यवाही निष्पादन न कर, निलंबन न करने का क्या औचित्य है ? मैं सरकार से यह मांग करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने विस्तृत रूप से जवाब दिया है । सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने प्रदर्शन और तोड़-फोड़ किया है, इसीलिए कार्रवाई की गई है। अभी वह कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जल्द ही उसे संपादित कर दिया जायेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-30 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र संख्या-62, पूर्णियां)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-222 (श्री पंकज कुमार मिश्र, क्षेत्र संख्या-29, रून्नीसैदपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1-उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि स्व॰ रामचन्द्र झा, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे जिनका कोटि क्रमांक-297/1999 है । इनकी जन्म तिथि-17.06.1944 है तथा सेवानिवृति की तिथि-30.06.2002 है ।

सेवांत लाभ के भुगतान के संबंध में अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के पत्रांक-4457, दिनांक-10.12.2022 से सूचित किया गया है कि स्व॰ रामचन्द्र झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, भगवानपुर (बेगुसराय) को विपत्र संख्या-90/2002-2003 के द्वारा ग्रुप बीमा का भुगतान किया गया ।

अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के द्वारा स्व॰ झा के संदर्भ में यह भी सूचित किया गया है कि स्व॰ झा के निजी संचिका की काफी खोजबीन की गयी परन्तु संचिका उपलब्ध नहीं हुआ । स्व॰ झा से संबंधित पत्राचार निर्गत पंजी के आधार पर ज्ञात हुआ कि कई बार महालेखाकार, बिहार, पटना से आपत्ति प्राप्त हुआ है ।

मामला बहुत ही पुराना है, इसकी खोजबीन की जा रही है । उपलब्ध होने पर नियमानुसार यथाशीघ्र कार्रवाई की जायेगी ।

3- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से विस्तृत प्रतिवेदन/कागजात प्राप्त कर स्व॰ झा की पत्नी को अनुमान्य पेंशनादि के भुगतान हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन उत्तर प्राप्त है । मैंने प्राप्त उत्तर का अवलोकन किया है । मेरा पूरक प्रश्न है कि पूर्व अंचल अधिकारी स्व॰ रामचन्द्र झा दिनांक-30.06.2002 को सेवानिवृति होने के उपरांत पेंशन हेतु आवेदन दिये थे फिर उन्हें ग्रुप बीमा का भुगतान हुआ तो किस परिस्थिति में वेतन स्वीकृत नहीं हुआ है। अब विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी निजी संचिका नहीं मिल रही है, यह विभाग की त्रुटि है । आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि एक समय-सीमा का निर्धारण कर पेंशन एवं समस्त सेवांत लाभ का भुगतान कराने की कृपा करें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी को समय चाहिए, आपको लिखित उत्तर भिजवा दिया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-462 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र संख्या-38, झंझारपुर)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-463 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1-उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2-स्ट्रीट लाईट है लेकिन कम है ।

3-भागलपुर जिला अंतर्गत बरारी में स्थित बिहार इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी के वृहत औद्योगिक प्रांगण में स्ट्रीट लाईट लगाने की निविदा दिनांक-18.10.2022 को प्रकाशित कर दी गई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ चुका है । मैं मंत्री जी से...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप पूरक पूछना चाहते हैं ?

श्री अजीत शर्मा : जी ।

अध्यक्ष : पूछिये ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं मंत्री महोदय को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रश्न के बाद उन्होंने संज्ञान में लेने का काम किया है । लाईट वे लगायेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि निविदा को कब तक फाईनल करेंगे और यह काम कब तक कंप्लीट करायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, निविदा निकल चुकी है, इसी वित्तीय वर्ष में काम भी पूरा हो जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसी वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ हो जायेगा ।

श्री अजीत शर्मा : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-464 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1-वस्तुस्थिति निम्नवत है:-

बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-663(क) में वर्णित प्रावधान के अनुसार सिपाही अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा सामान्य कोटि हेतु 19-27 वर्ष एवं एस०सी० एवं एस०टी० के लिए 19-32 निर्धारित था ।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-49, दिनांक-13.04.1994 द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा सामान्य कोटि के लिए 19-35 वर्ष, बी०सी० एवं ई०बी०सी० के लिए 19-37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग की

महिलाओं के लिए 19-38 वर्ष, एस०सी० एवं एस०टी० के लिए 19-40 वर्ष निर्धारित किया गया ।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-8256, दिनांक-01.09.2001 द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा सामान्य कोटि के लिए 18-23 वर्ष, बी०सी० एवं ई०बी०सी० पुरूषों के लिए 18-25 वर्ष, बी०सी० एवं ई०बी०सी० महिलाओं के लिए 18-26 वर्ष, एस०सी०/एस०टी० के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए 18-28 वर्ष निर्धारित किया गया ।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-6620, दिनांक-14.08.2019 द्वारा संशोधन के उपरान्त वर्तमान में बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा सामान्य के लिए 18-25 वर्ष, बी०सी० एवं ई०बी०सी० के पुरूषों के लिए 18-27 वर्ष, बी०सी० एवं ई०बी०सी० महिलाओं के लिए 18-28 वर्ष, एस०सी०/एस०टी० के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए 18-30 वर्ष निर्धारित है ।

2-अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में वृद्धि का राज्य की औसत आयु से सीधा संबंध नहीं है ।

3-वस्तुस्थिति यह है कि बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा वर्ष-1994 में 8 वर्ष बढ़ायी गई, वर्ष-2001 में 12 वर्ष घटायी गई एवं पुन: वर्ष 2019 में 2 वर्ष बढ़ायी गई, जो सम्प्रति लागू है ।

4-बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में सिपाही संवर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका भी जवाब आया हुआ है तो मैं पूरक पूछना चाहता हूँ । मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उम्र सीमा में बार-बार संशोधन करने का कोई आधार है और उम्र सीमा जो घटायी या बढ़ायी गई है, क्या उसके अनुसार पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है और यह कब किया गया है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर विस्तृत रूप से दे दिया गया है । सरकार को अधिकार है, आवश्यकतानुसार उम्र घटायी या बढ़ायी जाती है । उसमें किसी नियम के विपरीत कोई बात नहीं हुई है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, दूसरा पूरक है कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने का उद्देश्य से, क्या सरकार अधिसूचना संख्या-49, दिनांक-13.04.1994 के अनुरूप पुन: आयु सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, यह जवाब नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी के द्वारा आपके पूरक प्रश्न का जवाब दे दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-465 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र संख्या-48, फारबिसगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-466 (श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र संख्या-195, अगिआँव (अ०जा०))

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-467 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र संख्या-67, मनिहारी (अ०ज०जा०))

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल/थाना से धुरियाही गाँव लगभग 25-30 कि०मी० दूर एवं दो तरफ से गंगा एवं कारीकोशी नदी से घिरा क्षेत्र है । धुरियाही गाँव एवं उसके आस-पास के गाँव में विगत पाँच वर्षों में गंभीर शीर्ष में मात्र 02 आपराधिक घटना घटित हुई । धुरियाही से महज 500 मीटर की दूरी पर पूर्व में घटित आपराधिक गतिविधियों/घटनाओं को देखते हुए अस्थायी पुलिस पिकेट मोहना चाँदपुर (सेमापुर ओ०पी०, बरारी थाना) में कार्यरत है, जिसके माध्यम से उक्त क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है । वर्तमान में धुरियाही गाँव में पुलिस चौकी की स्थापना करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

अध्यक्ष : उत्तर उपलब्ध है, आप पूरक पूछें ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें बताया गया है कि धुरियाही गाँव थाना से लगभग 25-30 कि०मी० की दूरी पर है, सही है लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए पुलिस को कम-से-कम दो घंटा चाहिए । महोदय, दूसरी बात, यह भी कहा गया है कि विगत पाँच वर्षों में सिर्फ दो गंभीर अपराध हुए हैं । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि दो गंभीर अपराध घटित हुए हैं लेकिन वहाँ की जो स्थित है, वह मैं आपकी अनुमति से आपके

समक्ष रखना चाहता हूँ । सबसे बड़ी बात है कि वहां का किसान बिना रंगदारी के अपना खेत भी नहीं जोत सकते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री पूछें । आप प्रश्न पूछें ।

श्री मनोहर प्रसाद यादव : महोदय, मैं उस परिस्थिति को बता देना चाहता हूँ क्योंकि सरकार यह कहती है कि वहाँ सब अमन-चैन है लेकिन वहाँ अमन-चैन नहीं है । महोदय, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह एक विस्तृत प्रतिवेदन लिखकर दे दें, हम उसकी जाँच करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-468 (श्री आबिदुर रहमान, क्षेत्र संख्या-49, अररिया)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया थाना कांड संख्या-377/20, दिनांक-16.05.2020, धारा-25 (1-बी)ए/26/35 भा०द०वि० के अन्तर्गत वादी मो० सफदर हुसैन के द्वारा आरोप लगाया गया है कि दिनांक-16.05.2020 को बांसबाड़ी चौक पर चाय पीने के दौरान 1. मो० आरफीन, 2. रंजीत सोनार, 3. मो० दानिश द्वारा वादी के ऊपर पिस्तौल तान दिए जाने के आरोप में दर्ज किया गया है । अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में उक्त कांड प्राथमिकी अभियुक्त सहित वादी मो० सफदर हुसैन एवं प्रस्तुती सह जप्ती सूची के गवाह खालिद मुसरफ एवं शब्बीर आलम के विरुद्ध कांड को सत्य मानते हुए कांड का अनुसंधान करने हेतु निर्देशित किया गया है । अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त 1. मो० आरफीन, 2. रंजीत सोनार, 3. मो० दानिश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा दोषी पाए गए अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा अभियोजन स्वीकृति का आदेश प्राप्त किया गया है ।

कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त- 1. मो० सफदर हुसैन (वादी), पे०-अजहर हुसैन, जिला-अररिया, 2. खालिद मुसर्रफ, पे०-मो० रकीबउद्दीन, थाना व जिला-अररिया, 3. शब्बीर आलम, पे०-नफीरउद्दीन, थाना व जिला-अररिया के विरुद्ध धारा-25 (1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन संचालन की स्वीकृति दे दी गयी है ।

वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग । आप उत्तर पढ़ दें ।

(व्यवधान जारी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : उत्तर आपको दे दिया गया है । माननीय सदस्य आप पूरक पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ।

श्री आबिदुर रहमान : अध्यक्ष महोदय, मेरे गाँव में यह वाकया हुआ है । पूरे गाँव के लोग ने रपैट कर उसे आर्म्स के साथ में पकड़ा है । जो गवाह था, गवाह का नाम डालकर जो अभियुक्त था उसको हटा दिया गया है । हटाकर गवाह का नाम अभियुक्त बना दिया गया है । इसकी मैं स्पष्ट जाँच करवाना चाहता हूँ ताकि लोकल पुलिस के द्वारा अपराधी को छोड़ दिया गया और जो गवाह था उसका नाम डाल दिया गया । लोग परेशान हैं, इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराई जाय और इसका जवाब सरकार दे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ऐसी बातें नहीं हुई है । उत्तर में साफ लिखा हुआ है कि तीन-चार आदमी की गिरफ्तारी हुई है- 1. मो० सफदर हुसैन (वादी), पे०-अजहर हुसैन, जिला-अररिया, 2. खालिद मुसर्रफ, पे०-मो० रकीबउद्दीन, थाना व जिला-अररिया, 3. शब्बीर आलम, पे०-नफीरउद्दीन, थाना व जिला-अररिया के विरुद्ध धारा-25 (1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन संचालन की स्वीकृति दे दी गयी है । इसलिए महोदय ऐसा नहीं है लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसको हम फिर से दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा सक्षम कार्रवाई शुरू कर दी गई है । इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-469 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र संख्या-146, बेगूसराय)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल जी आप नहीं थे, आपका नाम पुकारा गया था तो आप अनुपस्थित थे । इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-470 (श्री राणा रणधीर, क्षेत्र संख्या-18, मधुबन)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-471 (श्री राणा रणधीर, क्षेत्र संख्या-18, मधुबन)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-472 (श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र संख्या-79, गौड़ाबौराम)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-473 (श्री राम चन्द्र प्रसाद, क्षेत्र संख्या-84, हायाघाट)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम चन्द्र प्रसाद ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-474 (श्री विनय कुमार चौधरी, क्षेत्र संख्या-80, बेनीपुर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा इस मामले में वाद संख्या-23/2022-23 संस्थित कर आंचलिक प्रबंधक, सहारा इंडिया, पटना को 60 दिनों के अंदर परिपक्व राशि का भुगतान करने हेतु दिनांक-06.04.2022 को नोटिस निर्गत कर निर्देशित किया गया है ।

निर्गत नोटिस/निर्देश के प्रतिउत्तर में उक्त सहारा इंडिया समूह के द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को प्रतिवेदित किया गया है कि सहारा इंडिया समूह के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मामला लंबित होने के कारण निवेशकों का परिपक्वता राशि भुगतान करने में कठिनाई हो रही है ।

जमा एवं परिपक्व राशि का भुगतान करना निवेशकों एवं सहारा इंडिया समूह के बीच द्विपक्षीय अनुबंध है । इस कारण निवेशकों को परिपक्वता राशि का भुगतान सहारा इंडिया समूह के द्वारा ही किया जाना है ।

अध्यक्ष : उत्तर उपलब्ध है । आप पूरक प्रश्न पूछें ।

(व्यवधान जारी)

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जवाब से मैं संतुष्ट हूँ लेकिन पूरक है कि सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि सहारा के निवेशकों के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि उन लोगों को पैसा मिल सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

टर्न-4/सुरज/19.12.2022

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है । सरकार भी चिंतित है और इसलिये हमलोगों ने कानून बनाकर जो जमा करने वाले लोग हैं उनके हित में कानून बनाकर पहल कर रहे हैं जिससे कि सहारा के यहां जो जमाकर्ता का पैसा है खास तौर से बिहार वासियों का उसको हम वापस करवा सकें और कुछ लोगों का करवाया भी गया है लेकिन इधर सहारा इंडिया कंपनी, सेबी और सुप्रीम कोर्ट इन तीनों के बीच मामले की सुनवाई चल रही है और सरकार ने भी इसमें पहल की है । सहारा वालों ने भी सूचना दी है कि वे लोग चाहते हैं कि अपना ऐसेट बेचकर भी हम जो जमाकर्ता हैं उनके पैसे वापस कर दें इसलिये सरकार पहल कर रही है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी ।

तारांकित प्रश्न सं0-475 (श्रीमती संगीता कुमारी, क्षेत्र सं0-204, मोहनिया (अ0जा0))

(माननीया सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-476 (श्री आलोक रंजन, क्षेत्र सं0-75, सहरसा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-477 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र सं0-48, फारबिसगंज)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-478 (श्री जिवेश कुमार, क्षेत्र सं0-87, जाले)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-479 (श्री लखेंद्र कुमार रौशन, क्षेत्र सं0-130, पातेपुर (अ0जा0))

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-480 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-851 दिनांक-03.06.2009, 1243 दिनांक-08.10.2014 तथा 1313 दिनांक-24.10.2014 में सरकारी सेवकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु नीतिगत प्रावधान निरूपित है । इसमें सामान्यत: तीन वर्षों के बाद जून माह में स्थानांतरण-पदस्थापन किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

आंशिक स्वीकारात्मक है ।

1- वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के ज्ञापांक सं0-3/एम-01-5038/80का0-4651 दिनांक- 25.04.1984 का अनुपालन करते हुये श्री कन्हैया कुमार, फर्रास (कार्यालय परिचारी) जिला नजारत शाखा, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिलाधिकारी, पटना के प्राप्ति शाखा का स्थानांतरण नहीं किया गया है । इसमें दिये गये निदेश के अनुसार चतुर्थवर्गीय कर्मचारी अल्प वेतनभोगी हैं । फलतः इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने से इन लोगों को काफी असुविधा होती है एवं नये स्थान पर इनके सामने आवास की भी कठिन समस्या आ जाती है, अतः इन लोगों को विशेष प्रशासनिक कारणों को छोड़कर (जैसे पद समाप्त होने पर, आदि) एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जाना है ।

2- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-3339 दिनांक-09.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित है कि जिला शिक्षा कार्यालय, पटना में पदस्थापित लिपिकों का संवर्ग प्रमण्डलीय स्तर का होता है, उनके नियुक्ति प्राधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना है । वर्तमान में प्रमंडलीय संवर्ग के लिपिकों के सेवाशर्त (स्थानांतरण सहित) का निर्धारण, शिक्षा विभाग, बिहार के अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसचिवीय कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं स्थानांतरण नियमावली, 2019 के आलोक में किया गया है ।

नियमावली के नियम-17 में स्थानांतरण का प्रावधान है कि संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक इस संवर्ग के कर्मियों का स्थानांतरण कर सकेंगे । स्थानांतरण के संबंध में दिशा-निर्देश सामान्यतः वहीं होंगे जो राज्य कर्मियों के लिये मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किया जाता है । निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-141(विधि) दिनांक-14.10.2020 के द्वारा संसूचित है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-15892/2019 में दिनांक-14.01.2020 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में उक्त नियमावली के आलोक में पद सोपान चिन्हित किये जाने के उपरांत स्थानांतरण की कार्रवाई की जायेगी । विदित हो कि श्री शंभू कुमार, लिपिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पटना में वर्ष 2010 से पदस्थापित है । श्री संजय कुमार, लिपिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना कार्यालय में वर्ष 2016 से पदस्थापित हैं, जिनका प्रतिनियोजन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश ज्ञापांक-1741 दिनांक-21.11.2022 के द्वारा बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोलघर, पटना में किया गया है ।

समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों का स्थानांतरण तीन वर्ष पूरा होते ही कर दिया जाता है ।

3- उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया हुआ है मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो उत्तर दिया है...

(व्यवधान जारी)

जिला में, प्रखंड में जहां कहीं भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो किरानी स्तर के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो वर्षों से जमे हुये हैं, जो होम डिस्ट्रिक्ट और होम प्रखंड में हैं उनको सरकार बदलने का नियम सख्ती से लागू करना चाहती है । नियम अगर है तो सरकार निर्देश देना चाहती है कि नहीं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विस्तृत रूप से उत्तर दिया जा चुका है । इसके अतिक्ति इसमें किसी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सरकार ने अपनी बातों को आपतक पहुंचा दिया है इसलिये आप स्थान ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्न सं0-481 (श्री राम विशुन सिंह, क्षेत्र सं0-197, जगदीशपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

1- वस्तुस्थिति यह है कि जगदीशपुर प्रखंड के देवटोला ग्राम राधा मोहन सिंह के पुत्र रमेश रंजन जो सी0आर0पी0एफ0 में थे, दिनांक-05.02.2022 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुये शहीद हुये थे ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि खुर्षीद खान की वीर नारी श्रीमती नगमा खातुन की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दावथ में की गई है एवं शहीद शर्मा लवकुश सुदर्षन की वीर नारी अनिता कुमारी की नियुक्ति जिलाधिकारी कार्यालय, जहानाबाद में कार्यालय परिचारी के पद पर की गयी है ।

सी0आर0पी0एफ0 के शहीद खुर्शीद खान की वीर नारी की नियुक्ति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किये जाने के कारण उन्हें नौकरी देने की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निदेशालय के पत्र सं0-1114 दिनांक-19.08.2022 के आलोक में की गयी है । इन दोनों की शहादत दिनांक-17.08.2020 को हुई थी ।

3- शहीद रमेश रंजन की शहादत दिनांक-02.05.2020 को यानी उपरोक्त मामले से पहले का है । इस मामले में सरकार द्वारा उनके आश्रित को नौकरी देने संबंधी कोई घोषणा नहीं की गयी थी । वर्तमान में इन्हें नौकरी देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह जी ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य आप सदन में खड़े हैं । बड़े नियम-कानून के साथ आप खड़े हैं । बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं । लोकतंत्र में आप जीतकर आये हैं, आपको जनता का काम नहीं करना चाहिये, आपको इसी तरह से ढोलक बजाना चाहिये ।

माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह जी आपको उत्तर प्राप्त हो चुका है, आप पूरक पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब 02 मई, 2020 को तीन जवान शहीद हुये और रमेश रंजन दो उग्रवादियों को मारकर शहीद हुआ तो उसकी पत्नी को नौकरी क्यों नहीं मिली ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका जो आचरण हो रहा है वह अलोकतांत्रिक है और बिहार की जनता ने आपको जिताकर के सदन में भेजा है जनहित की समस्याओं को उठाने के लिये। अब प्रश्नकाल चल रहा है, सरकार आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिये तैयार है परंतु जनहित में आप काम नहीं करना चाहते हैं इसलिये अमर्यादित तरीके से काम कर रहे हैं ।

अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-5/राहुल/19.12.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री भाई विरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण दिया गया था । यह पूरे बिहार के विद्यालयों का मामला है । हम चाहेंगे कि इसको ध्यानाकर्षण समिति में दे दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-19 दिसंबर, 2022 के लिए निर्धारित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महबूब आलम जी बोलिये । यह सबका काम है...

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, हम लोग माननीय सदस्य बहुत मेहनत से शून्यकाल डालते हैं । आज के शून्यकाल विरोधी पक्ष द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैये से सदन में अवरोध पैदा करने के कारण पढ़े नहीं गये और इसी तरह से दिनांक-16 दिसंबर, 2022 के शून्यकाल भी पढ़े नहीं गये थे इसलिए हम आग्रह करते हैं कि दिनांक-16 दिसंबर, 2022 और आज के शून्यकाल को मान्य किया जाय, उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दिनांक-16 दिसंबर, 2022 एवं आज दिनांक-19 दिसंबर, 2022 के माननीय सदस्यों द्वारा दी गई शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है ।

दिनांक-16.12.2022 के लिए पढ़ी हुई मानी गई शून्यकाल की सूचनाएँ

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमण्डलीय अस्पताल स्थित नवनिर्मित पोस्टमॉर्टम गृह को संचालित करने की माँग करती हूँ ।

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, हिसुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित करके रेफरल अस्पताल-सह-ट्रामा सेन्टर बन जाने से नरहट प्रखंड एवं मिसकौर प्रखंड के नागरिकों को

भी लाभ मिल सकेगा । नवादा सदर अस्पताल की दूरी वहाँ से 25 किलोमीटर है । रेफरल अस्पताल-सह-ट्रामा सेन्टर बनाने की माँग करती हूँ ।

श्री भरत बिन्द : महोदय, कैमूर जिला अन्तर्गत सोन स्तरीय कसेर वितरणी हनहर क्रमशः परमालपुर, भभुआ पूरब पोखरा, सेमरिया, भरिगाँवा मरिचाव गोराई पुर गाँवों से गुजरने वाली नहर की सफाई तथा मरम्मत नहीं होने से किसानों को सिंचाई करने में कठिनाई होती है । नहर की सफाई एवं मरम्मत कराने की माँग करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस) के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा देय मात्रा में गेहूँ आदि उपलब्ध कराने संबंधी माँग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वृद्धजनों, वृद्धाओं, विकलांगों को 400/- रूपये पेंशन दिया जाता है । आसमान छूती महंगाई के मद्देनजर यह राशि ऊँट के मुँह में जीरा है ।

अतः मैं इन्हें प्रतिदिन 50/- रूपये के हिसाब से प्रतिमाह 1500/- रूपये पेंशन देने की माँग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, नगर परिषद् ताजपुर में नाला नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में जलजमाव से सैकड़ों परिवार को विस्थापित होना पड़ता है । नगर कार्यालय के पत्रांक-246 द्वारा विभाग को नाला निर्माण हेतु भेजे गये डी0पी0आर0 को स्वीकृत कर नाला निर्माण कराने की माँग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, नीरा बनाने के उद्देश्य से पेड़ पर चढ़कर ताड़ी उतारने को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि पेड़ से गिरकर हुई मौत पर मुआवजा का प्रावधान नहीं है । पेड़ से गिरकर हुई मौत पर भी मुआवजा दिलाने की माँग करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, अखिलेश रविदास की नियुक्ति जिलादेश संख्या-89/92 के द्वारा चौकीदार के रूप में हुआ, जो थाना फुलवारी शरीफ (पटना) में पदस्थापित है । ड्यूटी के बावजूद अबतक वेतन की भुगतान नहीं की जा रही है । अतः वेतन भुगतान कराने की माँग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, मगध विश्वविद्यालय में स्नातक का सत्र 2018-21 पार्ट-2 तथा सत्र 2019-22 पार्ट-1 का परिणाम अभी तक लंबित है । सत्र की अनियमितता से बिहार के लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय है । बिहार के विश्वविद्यालयों में सत्र अनियमितता पर 'श्वेतपत्र' की माँग की माँग करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार के विभिन्न जिलों के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)) से 'सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता' पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण

प्राप्त 21000 ग्रामीण चिकित्सकों को 'स्वास्थ्य मित्र' के रूप में बहाल करने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत पिंडारूच ग्राम के बलुवाही पुल के निकट पश्चिमी भाग में बरात के दिनों में जल जमाव लगा रहता है जिस कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । आम जनमानस के हित को देखते हुए सुलिस गेट का निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1857 के 'रजवार विद्रोह' के नायकों में जवाहिर रजवार, भोक्ता रजवार, कारू रजवार, ऐतवा रजवार आदि शहीदों के संघर्षों व उनके गौरवशाली इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने, उन्हें राजकीय सम्मान देने और नवादा जिला के सीतामढ़ी को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करता हूं ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिलान्तर्गत तरीनी प्रखंड के वरीयारपुर ग्राम से शरीफ नगर ग्राम होते तुरकी बाजार तक जो कच्ची सड़क है जो शिहर एवं मुजफ्फरपुर जिला को जोड़ती है । जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पर रहा है । जनहित में कालीकरण करने की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिले के अतिव्यस्त सिसवन-लक्ष्मीपुर रेलवे ढाला घंटो-घंटा बन्द होने से दोनों तरफ दो से तीन किलोमीटर लम्बी जाम के चलते छात्रों, मरीजों सहित आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है । रेलवे ढाला पर ओवरब्रीज निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कालाबलुआ बाजार में स्थायी पुलिस आउट पोस्ट बनाने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के परैया प्रखंड अन्तर्गत मंगरावा पंचायत के कमलदह गांव में प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर होकर गिर गया है । अतः उक्त स्थान पर नये प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना का शिलान्यास होने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, जिला उर्रहमान, पिता-मोती उर्रहमान, ग्राम-शोभन मनियारी, जिला-दरभंगा की हत्या दिनांक-08.12.2022 को एवं जावेद मुस्तफा, पिता-हबीब अहमद, ग्राम-तीन बिरवां, जिला-गोपालगंज की हत्या दिनांक-23.09.2022 को गांव के दबंग लोगों ने कर दी थी जिसके मुख्य हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड के खजुरी बाजार चौक एनएच-327 ई से ब्रह्मस्थान होते हुए मधेपुरा जिला सीमा के हनुमान नगर तक जानेवाली सड़क के पक्कीकरण की मांग करता हूं ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड के गम्हरिया उप शाखा नहर से निकलने वाली ग्रामीण नाला 114.60 एवं 111 के बांयें तरफ निर्मित साईफन ध्वस्त होने से दर्जनों गावों के किसान के सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई अवरूद्ध है । जिसे पुन: निर्माण कराकर सिंचाई सुविधा बहाल की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुलतानगंज के अनुमंडल तथा सजौर, अकबरनगर एवं बाथ को प्रखंड बनाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की तरह बिहार सरकार से बिहार के किसानों को प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति पर 1000/- (एक हजार) रुपये का बोनस देने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, छठे चरण में नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान अभी तक पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों में प्रारंभ नहीं हुआ है, जिस कारण वे भारी आर्थिक कठिनाई में है । छठे चरण में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान को अविलंब प्रारंभ किये जाने की सरकार से मांग करती हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर प्रखंड के सकरी-हरीनगर रेलखंड पर जगदीशपुर एवं बेनीपुर स्टेशन के बीच बैगनी गांव में हॉल्ट निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी 609 कोटी मदरसा शिक्षकों को वेतन भुगतान विगत 4 वर्षों से बाकी है, वेतन के अभाव में कई शिक्षक मर चुके हैं । जनहित में उन मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान एवं मृत शिक्षक के परिवार को नौकरी देने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा प्रखंड के सिंगरैला, सिलठा, दासिन, तरछा आदि चौरों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर सालों भर जल-जमाव से किसान परेशान हैं, उक्त वर्णित चौरों से जल निकासी हेतु नहर निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड में वर्ष 2021 में हुए शिक्षक बहाली में नियोजन इकाई द्वारा व्यापक गड़बड़ियां की गई थी जो जिला पदाधिकारी के जांच में सत्य पाया गया । नियोजन रद्द करने एवं गड़बड़ी करने वाले नियोजन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विहियां, कटैया, सिकरियां एवं ज्ञानपुरा नहरों की सफाई नहीं होने के कारण जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के किसानों नहर के पानी से वंचित रह जाते हैं । किसानहित में उपरोक्त नहरों की सफाई कराने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के भैयापट्टी में बछराजा नदी पर स्थित ध्वस्त स्लूईस गेट की जगह नये स्लूईस गेट निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आवास योजना में बिहार के सभी पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने के की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, मुंगेर यूनिवर्सिटी अन्तर्गत बी०आर०एम० कॉलेज, मुंगेर छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है । कॉलेज परिसर के मैदान में स्टेडियम बनाने की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री मोती लाल प्रसाद : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखण्ड के चीनी मिल विगत 2 वर्षों से बंद रहने के कारण उस क्षेत्र के 40,000 गन्ना किसान एवं 500 कर्मचारी के सामने भुखमरी की स्थिति है ।

अत: शीघ्र बंद पड़े चीनी मिल को चालू करने की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, केन्द्र सरकार की बहुप्रचारित मिड-डे-मील योजना में विद्यालय रसोइयों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है लेकिन वे इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में 1,500 रुपये प्रतिमाह खटने पर मजबूर हैं जो न्यूनतम मजदूरी कानून का भी उल्लंघन है ।

अत: विद्यालय रसोइयों के लिए प्रति माह 18,000 रुपये करने की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर-नवाबगंज मुख्य पथ पर स्थित छरियारी पुल संकीर्ण एवं क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण विगत एक वर्ष में इस पुल से गिरकर दर्जनों व्यक्तियों की मौत हो चुकी है ।

अत: सदन से उक्त नया पुल का निर्माण करने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, नरकटियागंज में मेरे आवास से 100 कदम की दूरी पर एक जघन्य हत्या काण्ड हो गया है । सदन के माध्यम से मांग करती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नरकटियागंज में प्रत्येक वार्ड एवं गाँव में लोगों की सुरक्षा हेतु शीघ्र सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाने की व्यवस्था की जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, भोजपुर जिला के पीरो से गोविन्दडीह, सेदहाँ होकर तरारी जाने वाली सड़क जर्जर और जानलेवा हो गई है । प्रशासनिक स्वीकृति देकर जल्द से जल्द सड़क निर्माण पूर्ण कराने की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर जिला में दिसम्बर में 9,410 मीट्रिक टन यूरिया खाद की जरूरत के मुकाबले विभाग द्वारा अभी तक मात्र 2,447 मीट्रिक टन ही उपलब्ध कराया गया है जिससे किसान काफी परेशान हैं ।

अत: भागलपुर जिला को खपत के हिसाब से यूरिया खाद उपलब्ध कराने हेतु सदन से मांग करता हूँ ।

दिनांक-19.12.2022 के लिए पढ़ी हुई मानी गई शून्यकाल की सूचनाएँ

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत अधिकांशत: जिन जिलों में गृह रक्षा वाहिनी की नियुक्ति नहीं की गयी है, उन जिलों में नियुक्ति शीघ्र करने की मांग करती हूं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, स्ट्रीट भेण्डर्स (प्रोटेक्शन ग्राफ लाइवलीहूड एण्ड रेग्युलेशन ग्राफ भेण्डिंग) एक्ट 2014 के बावजूद पटना, स्टेशन न्यू मार्केट तथा पूरे प्रदेश के फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़कर लाखों का सामान लूट-बर्बाद का लाखों लोगों का रोजगार छीना जा रहा है । फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ना बन्द करने की मांग करता हूं ।

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा चीनी मिल, वर्षों से बंद रहने के कारण उस क्षेत्र के 40 हजार गन्ना किसान एवं 5 सौ कर्मचारियों के सामने भुखमरी की स्थिति है । बंद पड़े चीनी मिल को शीघ्र चालू कराने तथा कर्मचारियों एवं किसानों के बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के नगर परिषद् सुलतानगंज के जल-जमाव की समस्या का स्थाई निदान कराने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामपुर पंचायत सवार के ग्राम सवारगढ़ एवं लान्झी, वनौली के बीच दुर्गावती नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है । अत: उक्त नदी पर निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, निरा बनाने के उद्देश्य से पेड़ पर चढ़कर ताड़ी उतारने को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि पेड़ से गिरकर हुई मौत पर मुआवजा का प्रावधान नहीं है । पेड़ से गिरकर हुई मौत पर भी मुआवजा के प्रावधान की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पेठिया प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु लगभग 60 कि0मी0

की दूरी तय करनी पड़ती है । पेठिया प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, मगध विश्वविद्यालय में स्नातक का सत्र 2018-21 पार्ट-2 तथा सत्र 2019-22, पार्ट-1 का परिणाम अभी तक लंबित है । सत्र अनियमितता से प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय है । बिहार के विश्वविद्यालयों में सत्र अनियमितता पर सरका से 'श्वेतपत्र' जारी करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार के कंपनी राज्य के दौर में कुछ वर्षों से चीनी मिलों के कई माह चलने के बाद ही गन्ना मूल्य का निर्धारण होता है । जो किसान विरोधी है । राज्य में गन्ना मूल्य का यथाशीघ्र 400 रु0 प्रति क्विंटल की दर से निर्धारण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1857 के 'रजवार विद्रोह' के नायकों में जवाहिर रजवार, भोक्तरजवार, कारू रजवार, ऐतवा रजवार आदि शहीदों के संघर्षों व उनके गौरवशाली इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने, उन्हें राजकीय सम्मान देने और नवादा जिला के सीतामढ़ी को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, जिला पूर्णिया अन्तर्गत प्रखण्ड अमौर एवं बैसा के अंचल एवं प्रखण्ड कार्यालयों के भवनों की स्थिति बहुत ही जर्जर है और उक्त प्रखण्डों में अबतक मॉडल भवनों का निर्माण नहीं हुआ है । अमौर एवं बैसा में मॉडल भवन निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखण्ड के जिनेदपुर पंचायत के वार्ड नं0-6 और रजौरा पंचायत के वार्ड नं0-8 के बीच देवकी नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड स्थित सिरसिया कला पंचायत के गमहरिया मौजा में स्थित ड्रेनेज पर गोविन्दपुर पुल से प्राथमिक विद्यालय मेहता टोला तक जाने वाली सड़क के पक्कीकरण की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं निषाद समाज के प्रथम बिहार विधान परिषद् सदस्य रहें, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्डन्तर्गत गुनाईबसही निवासी डॉ0 मुक्तेश्वर सिन्हा के सामाजिक एवं राजनैतिक योगदान को देखते हुए मौरवा विधान सभा क्षेत्र में आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया के गुरारू प्रखण्डन्तर्गत मथूरापुर बाजार में एस0एच0-69 पर पूर्व साईड में नाला का निर्माण किया गया था, परन्तु पश्चिम साईड नाला नहीं बनने के कारण बराबर जल-जमाव की समस्या बनी रहती है । पश्चिम साईड मे भी नाला निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : सरकार के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में कटौती की गई है । जिससे बी0डी0ओ0 एवं बी0पी0आर0ओ0 सहित प्रमुख के बीच तनाव व्याप्त है । प्रखंडों में प्रशासनिक अधिकार एवं संपूर्ण नियंत्रण पूर्व की तरह प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए जाने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार : प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड के विकास का नियंत्रण एवं प्रशासनिक अधिकार सहित पंचायतों के विकास कार्य का नोडल पदाधिकारी पूर्व की तरह बहाल करने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : राज्य में पोखरों के भिण्डों पर वर्षो से बसे भूमिहीनों को हटाने से पहले जमीन एवं आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : सिवान जिले के अतिव्यस्त सिसवन लक्ष्मीपुर रेलवे ढाला घंटों-घंटा बन्द होने से दोनों तरफ दो से तीन किलोमीटर लम्बी जाम के चलते छात्रों, मरीजों सहित आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है । रेलवे ढाला पर ओवरब्रीज निर्माण करने की मांग करता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कालाबलुआ बाजार में स्थायी पुलिस आउट पोस्ट बनाने की मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : समस्त बिहार सहित किशनगंज जिला के सैकड़ों मदरसों में हेड-मौलवी के रिक्त पड़े पदों में कोई प्रभारी शिक्षक नहीं होने के कारण काफी लम्बे समय से वेतन भुगतान लंबित है । विभागीय स्तर से वरीय शिक्षक को पदभार देकर वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : केसरिया थाना कांड- 568/22 में पर्यवेक्षण नहीं एवं एस0पी0 मोतिहारी के ज्ञापांक- 7067/29.11.2022 द्वारा डी0एस0पी0 चकिया को जाँचोपरांत कार्रवाई के आदेश के बावजूद पु0अ0नि0 द्वारा 02.12.2022 रात्रि 12.30 बजे निर्दोष लोगों के घर पुलिसिया तांडव किया गया । दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

श्री प्रणव कुमार : बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्यता अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं । बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत सभी अतिथि व्याख्याताओं को स्थायी करने की मांग करता हूँ ।

श्री मनोज मंजिल : बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2019 के द्वारा कनीय अभियंताओं का फाईनल सेलेक्शन होने के बावजूद अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है । अविलंब मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति पत्र प्रदान करने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : राज्य में संचालित चीनी मिलों द्वारा विगत बीस दिनों से गन्ने की पेराई प्रारंभ हो गई है । अबतक गन्ने का लाभकारी मूल्य तय नहीं हो पाया है जिससे किसानों को मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है । गन्ना के मूल्य निर्धारण की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार यादव : सीतामढ़ी 609 कोटि के 64 मदरसा शिक्षकों का वेतन चार वर्ष से बाकी है । वेतन नहीं मिलने से भुखमरी के कारण कई शिक्षकों की मौत हो चुकी है । जनहित में शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग की एक दर्जन से अधिक सड़कों की मरम्मति की निविदा के बावजूद दो वर्षों से निर्माण कार्य सम्पादित नहीं हो सका है । शीघ्र कार्य पूर्ण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के पत्रांक-402, दिनांक-02.03.2011 के आलोक में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत प्रेरक एवं समन्वयक के पद पर नियुक्ति हुई । संतोषजनक कार्य करने के बावजूद मानदेय बकाया और कार्य पर रोक से कर्मियों का जीवन बेकार हो गया, मानदेय भुगतान एवं समायोजन की मांग करता हूं ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी डीलर के घर से कार्यालय चलाते हैं और 51 रुपया क्विंटल की अवैध वूसली करते हैं जिस कारण दुकानदार 13 रुपये यूनिट की जगह 18 रुपया यूनिट सामान बेचते हैं इसकी जांच कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय के कारण राज्य में बंद हो रहे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा का समायोजन विश्वविद्यालय सेवा में करने की सरकार मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर जीरोमाइल से सबौर, घोघा, कहलगाँव, शिवनारायणपुर, पीरपैंती होते हुए मिर्जाचौकी तक की वर्तमान एन0एच0-80 सड़क की स्थिति काफी खराब है । उक्त सड़क पर अतिक्रमण हटाते हुए चयनित ठेका एजेंसी से चौड़ीकरण सहित निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रारंभ कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : रोजगार एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पाद क्रय के प्रत्येक क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों के प्रभाव को कम करने के लिए गुड़ बनाने के लिए केन क्रशर का रिजर्व एरिया में शामिल लाईसेंस देने की सरकार से मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको इसके पूर्व भी मैंने समय दिया था आपको जो सूचना देनी थी आपने सूचना दी ।

(व्यवधान जारी)

<u>सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह (सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से संबंधित समिति के 217वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदन करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे विवरण के अनुसार 100 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

(व्यवधान जारी)

कार्यवाही को न बाधित किया जाय । इसलिए यही निश्चित है और आप तमाम माननीय सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प हैं इसलिए गैर सरकारी संकल्प को आप न रोकें, आप अपने आसन को ग्रहण करें और नेता प्रतिपक्ष जो सवाल उठाये हैं, पहले गैर सरकारी संकल्प होने दीजिये उसके बाद आसन समझेगा तो सरकार से कहेगा । अभी गैर सरकारी संकल्प पढ़ने के लिए मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक-1 : श्री मोहम्मद अंजार नईमी, स0वि0स0

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत दिघलबैंक प्रखण्ड के कालोपीर, गुरूमरा घाट में पुल का निर्माण करावें ।''

(व्यवधान जारी)

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित दोनों पुल शीर्ष राज्य योजनान्तर्गत निर्मित तुलसिया से बीबीगंज तक पथ के आरेखन पर अवस्थित हैं उक्त पुल पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 अंतर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है । तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जानी संभव हो सकेगी ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

(व्यवधान जारी)

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : ठीक है हो जायेगा तो वापस ले लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान जारी)

क्रमांक-2 : श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आप लोगों का भी गैर सरकारी संकल्प है ।

(व्यवधान जारी)

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के बिहारीगंज के अंतर्गत ग्वालपाड़ा प्रखण्ड के ललियाधार पीपल वृक्ष से सहरसा जिला सीमा तक पथ का निर्माण करावें ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप लोगों का भी गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा-मधेपुरा के बीच सोनवर्षा-ग्वालपाड़ा पथ में अतलखा से आगे मिसिंग लिंक पथांश में भू अधिग्रहण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । डी0पी0आर0 प्राप्त है । अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

(व्यवधान जारी)

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और अब उम्मीद है कि यह कार्य हो जायेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान जारी)

<u>क्रमांक-3 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0</u>

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि...

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प है इसको तो होने दीजिये । देखिये, यह बतलाइये कि जो कार्यवाही है उस कार्यवाही के मुताबिक सदन चलेगा या आप अपने स्तर से कार्यवाही से अलग जाकर बात करियेगा उस पर सदन चलेगा । कार्यवाही के मुताबिक ही सदन चलेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सत्तरघाट पुल के पास ढ़ेकहा की तरफ से गाईड बाँध बनाकर आवागमन को चालू करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह आर0सी0डी0 को ट्रांसफर है ।

(व्यवधान जारी)

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सत्तरघाट पुल के पास ढ़ेकहा की तरफ से गाईड बाँध गंडक नदी की मुख्य धार के पास पड़ जाने के कारण तकनीकी तौर पर संभव नहीं है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष की बात को भी मैंने सुना ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि हर साल वहां बाढ़ आती है और तकनीकी तौर पर संभव है या नहीं है लेकिन बाढ़ से बचाव करना बहुत जरूरी है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि लोगों को किस तरह से बाढ़ से बचा सकते हैं और इसी आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

(व्यवधान जारी)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : जी, इसी आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-4 : श्री प्रेम शंकर प्रसाद, स0वि0स0

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंडन्तर्गत सलेमपुर घाट एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज के बीच गंडक नदी में पुल का निर्माण करावें ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप पहले अपने सदस्यों को आसन पर बैठाइये और जो कार्यवाही चल रही है इसको चलने दीजिये । उसके बाद से आसन आप जो कह रहे हैं उस पर विचार करके जो उचित होगा वह करेगा । इसलिए आप पहले इस काम को होने दीजिये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

टर्न-6/मुकुल/19.12.2022

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत प्रस्तावित पुल के एक ओर गोपालगंज जिलान्तर्गत छपरा सलेमपुर पथ एस0एच0-53 पर स्थित सलेमपुर घाट एवं दूसरी ओर पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज के पास एस0एच0-74 है ।

प्रस्तावित पुल की लम्बाई पहुंच पथ सहित लगभग 8 किलोमीटर होती है । पुल स्थल के डाउन स्ट्रीम में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित डूमरिया घाट पुल एवं अप स्ट्रीम में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित गोपालगंज बेतिया (विशुनपुर) पुल है ।

संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पुल निर्माण पर विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आसन प्रभावित होने वाला नहीं है और आसन नियमानुकूल काम करेगा ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-5 : श्री उमाकान्त सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

क्रमांक-6 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय प्रखंड के पंचायत बुलाकीपुर स्थित मटिहानी चौर से जल-निकासी करावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय प्रखंड के पंचायत बुलाकीपुर में मटिहानी चौर अवस्थित है । वर्तमान में मटिहानी चौर में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है ।

वर्णित चौर काफी पुराना एवं प्राकृतिक है । इस कारण पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रश्नगत चौर को विकसित एवं संरक्षित करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा ।

प्राकृतिक चौर पर्यावरण संरक्षण यथा भू-जल पुनर्भरण, जैव-विविधता आदि के लिए लाभप्रद होता है । प्रश्नगत चौर से जल निकासी होने पर इस क्षेत्र के प्राकृतिक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । ऐसे चौरों के विकास से स्थानीय क्षेत्रों के आर्थिक गतिविधियों यथा मखाना उत्पादन, मछली उत्पादन आदि को प्रोत्सहन मिलेगा ।

वर्तमान में जल संसाधन विभाग का प्राकृतिक चौर से जल निकासी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

(व्यवधान जारी)

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, किसानों की तीन हजार एकड़ से ज्यादा जमीन अधिक वर्षा होने से डूब जाती है, मेरा सवाल यह है और चौर जहां है वहां पर पानी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जल निस्तार होता है तो उससे किसानों की फसल डूब जाती है इसीलिए मैंने आग्रह किया कि इसकी जल निकासी जरूर होनी चाहिए । विभाग ने उसका डी0पी0आर0 भी बनवाया था लेकिन क्या आज सरकार इसको विकसित करना चाहती है या नहीं ? इससे कृषि के क्षेत्र में बहुत भारी संकट होगी इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस पर सरकार सकारात्मक ढंग से विचार करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की सहमति से आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अजय कुमार : ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

क्रमांक-7 : श्री भरत बिन्द, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

(इस अवसर पर विपक्ष के सारे माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये ।)

क्रमांक-8 : श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

‘‘यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखण्ड के भटौली और दावां ग्राम के बीच छेर नदी में पुल का निर्माण करावें ।’’

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बसावट भटौली को पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथ एन0एच0-30 से भटौली द्वारा संपर्कता प्रदत्त है एवं दूसरी तरफ के बसावट दावां को एम0एम0जी0एस0वाई0(एस0सी0) अंतर्गत निर्मित पथ एन0एच0-30 दुलौर मोड़ से सोहन टोला भाया रतनडंडी द्वारा संपर्कता प्रदत्त है ।

भटौली एवं दावां के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अभिस्तावित पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 1.50 किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम में 3 किलोमीटर पर पुल निर्मित है ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पुल के बनने से 10 गांव के लोग बिहियां बाजार करने के लिए जायेंगे, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि इस पुल को बनवाने का अगले वित्तीय वर्ष में कार्रवाई करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपने गैर सरकारी संकल्प को पढ़ दिया है और माननीय मंत्री जी ने आपको संतुष्ट किया है इसलिए आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-9 : श्री महानंद सिंह, स0वि0स0</u>

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के पालीगंज सीमा से पटना सोन नहर से पश्चिम तरफ अरवल जिला के बैदराबाद तक बाइपास निर्माण करावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पालीगंज सीमा से पटना सोन नहर के पूर्वी तटबंध पर बैदराबाद (अरवल जिला) तक पथ निर्मित है, जिस पर हल्के वाहनों (चार चक्का वाहन) का सुगमतापूर्वक परिचालन हो रहा है । प्रश्नगत बाइपास हेतु भूमि जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधीन है ।

जल संसाधन विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त होने पर तकनीकी सम्भाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-10 : श्री ई0 शशिभूषण सिंह, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-11 : श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0</u>

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह डॉ0 भीम राव अम्बेदकर की प्रतिमा बिहार विधान सभा परिसर में स्थापित करावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कोई भी प्रतिमा स्थापित करने के लिए अंतर्विभागीय राज्यस्तरीय समिति बनी हुई है उसकी अनुशंसा विचार होता है । परंतु डॉ0 भीम राव अम्बेदकर जी की प्रतिमा तो जो पटना की सबसे प्रधान और मुख्य सड़क है जो नेहरू पथ है, उस पर जो सबसे प्रमुख स्थल है हाईकोर्ट वाली जगह पर, वहां पर अम्बेदकर जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, इसलिए अभी कोई प्रस्ताव यहां लगाने का नहीं है । अभी हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय.......

अध्यक्ष : चूंकि माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य का जो गैर सरकारी संकल्प है उस पर उन्होंने कहा कि अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं है और पटना की ही महत्वपूर्ण जगह माननीय उच्च न्यायालय के सटे पश्चिम बाबा साहब डॉ0 भीम राम अम्बेदकर की प्रतिमा लगी हुई है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें । सरकार बहुत गंभीरता से आपको अपने स्तर से यह सूचना देने का काम किया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, दो बातें तो मैंने उस समय कही ही थी कि एक तो लगी हुई है दूसरा कोई समिति है उसका...

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : सत्यदेव बाबू, आप तो बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसमें तीसरी बात सत्यदेव बाबू खड़े हैं इसलिए हम कहना चाहते हैं कि...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, यह प्रस्ताव श्री गोपाल रविदास जी का है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसीलिए हम कह रहे थे और अपनी तीसरी बात इसमें जोड़ रहे थे कि किसी सदस्य के गैर सरकारी संकल्प पर वाद-विवाद का नियम में कोई प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष : जी, आपकी बात सही है, नियम में कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, हम वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं, मेरा आग्रह है कि ये पूरे देश के संविधान निर्माता हैं और उन्हीं के नियमों और कानूनों से हमारा लोकतंत्र चलता है इसलिए मेरा आग्रह है कि लोकतंत्र के मंदिर के परिसर में उनकी प्रतिमा लगायी जाय । ठीक है, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-7/अंजली/19.12.2022

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा ।

क्रमांक-12 : श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-13 : श्री संजय कुमार सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-14 : श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा विधान सभा क्षेत्र के सिकटा व मैनाटांड बाजार में विवाह भवन का निर्माण करावें ।''

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के पत्रांक-511, दिनांक-17.12.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के स्तर से विवाह भवन के निर्माण हेतु योजना का प्रावधान नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार यह आश्वासन दिया गया था कि बनेगा और उसी आधार पर वह एक साल में नहीं बना, यह बहुत ही छोटा सा काम है और इसमें बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत नहीं है तो इस आधार पर मैंने फिर उस संकल्प को लाया है । जबकि पिछले गैर सरकारी संकल्प में भी यह लाया गया था लेकिन आश्वासन दिया गया कि होगा, लेकिन आज तक वह नहीं हुआ, फिर इसलिए दुबारा लाना पड़ा । इसलिए हम आग्रह करते हैं कि गांव में बहुत ही घनी बसावट हो गई है, सभी पंचायतों में और यह तमाम सामाजिक उत्सवों के लिए, तमाम कार्यक्रमों के लिए एक जरूरी काम बन गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपसे आग्रह किया है कि आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लें, आपने पढ़ दिया वे सुन लिये हैं । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, आग्रह के साथ कि उसको कराया जाय, प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय मंत्री ग्रामीण विकास को उस हाऊस में जाना है । इसलिए इनका क्रम में, ग्रामीण विकास विभाग का जो गैर सरकारी संकल्प है वह मैं पहले ले रहा हूं ।

क्रमांक-36 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-73 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बरसोई प्रखंड के आबादपुर, शिवानन्दपुर, नलसर, चापाखोर, हरनारोई, लगुआ, बेलवा, लगुआ-दासग्राम, भवानीपुर पंचायतों को मिलाकर आबादपुर नाम से एक नया प्रखंड का गठन करावें ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी कटिहार से प्रखंड सृजन के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बहुत लंबा-चौड़ा प्रखंड है । एक छोर से दूसरे छोर की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर है, चापाखोर से लेकर सुदानी तक, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि नए प्रखंड के गठन का सरकार विचार करे । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-15 : श्री रत्नेश सादा, स0वि0स0

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अंतर्गत बनमा इटहरी प्रखंड के तेलिया घाट से खुरेशान होते हुए मुरली चौक तक सड़क का पक्कीकरण करावें ।''

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथों में दो पथ से संबंधित है । पहला तेलिया घाट से खुरेशान तक उक्त पथ की मरम्मती हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण तथा अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत तेलिया घाटा से मुरली तक पथ के नाम से प्राप्त है । निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । दूसरा है, मुरली से खुरेशान तक उक्त पथ बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत स्वीकृत है जिसका एकरारनामा दिनांक-30.06.2022 को कर लिया गया है, ससमय पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को मुरली चौक से खुरेशान तक जो सड़क का टेंडर हो गया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं और खुरेशान से लेकर तेलिया घाट तक कब तक टेंडर कराने का काम करेंगे । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : आप तो वापस ले रहे हैं फिर कब तक क्यों ?

श्री रत्नेश सादा : महोदय, खुरेशान से तेलिया घाट तक जो सड़क छूट गई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने स्पष्ट जवाब दे दिया है और आपने कहा कि हम वापस लेते हैं इसलिए सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-16 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0</u>

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के ''नगर परिषद, पटोरी'' 22 नं0 गुमटी से बरौनी-हाजीपुर रेलखंड के बीच आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करें ।''

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत बरौनी-हाजीपुर रेलखंड पर अवस्थित एल0सी0 नंबर-22 पटोरी पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की गई है । फिजिबिलिटी रिपोर्ट उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और माननीय न्यायालय सारा गुमटी के उस पार है और अस्पताल में जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं, एम्बुलेंस जब फंस जाती है गुमटी के पास तो बड़ा मुश्किल होता है । इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि पूर्व में भी मैं गैर सरकारी संकल्प लाया था और प्रस्ताव, मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसको भेजने का काम करेंगे । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-17 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-18 : श्री ललित नारायण मंडल, स0वि0स0</u>

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के सुलतानगंज प्रखंड में गंगा पंप नहर योजना को चालू करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के सुलतानगंज प्रखंड में वर्ष 1988 में अजगैबी नाथ पंप नहर बनाने की योजना की परिकल्पना की गई थी जिसे तकनीकी कारणों से क्रियान्वित नहीं किया जा सका । पंप नहर के प्रस्तावित स्थल से लगभग 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, ऊपर में कमरगंज पंप नहर योजना का अधिष्ठापन लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है जिससे प्रश्नगत योजना के प्रस्तावित कमांड में स्थित कमरगंज पंचायत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही खानपुर, कटहरा, किशनपुर, नयागांव पंचायत में हर खेत तक सिंचाई का पानी के कार्यक्रम के तहत चेकडैम का निर्माण लघु जल संसाधन विभाग द्वारा चयनित है । प्रश्नगत योजना के तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन भागलपुर को पत्रांक-2361, दिनांक-09.12.2022 द्वारा निदेशित किया गया है । तकनीकी फिजिबिलिटी के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपको बड़ा स्पष्ट जवाब दे दिए ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, सदन को हम बताना चाहते हैं, यह योजना केवल हमारे विधान सभा के लिए ही नहीं, कई विधान सभा के लिए बहुत इंपोर्टेंट योजना है । महोदय के आदेश से हम वापस ले लेते हैं लेकिन इसको चालू कराया जाय, साउथ बिहार को बहुत फायदा होगा ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/19-12-2022

क्रमांक-19 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मनोज कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोरवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोटवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रशासी विभाग ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जानी है । उक्त कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रशासी विभाग से प्राप्त

होने के उपरांत भवन निर्माण विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मनोज कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव वहां से आ गया है । मंत्री महोदय से आग्रह है कि अभी वह कार्यालय अन्य भवन में चल रहा है इसलिए इसे जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-20 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0,

(अनुपस्थित)

क्रमांक-21 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0,

(अनुपस्थित)

क्रमांक-22 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0,

श्री रामबली सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला अन्तर्गत काको के कोठिया और पार कोठिया गांव से होकर गुजरने वाली पक्की सड़क के बीच कड़रूआ नाला पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उल्लिखित पुल पी0एम0जी0एस0वाई योजनान्तर्गत निर्मित वॉरवां बीबीपुर पथ के आरेखन में है इस पुल के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 राज्य योजना अन्तर्गत प्राप्त है । निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्री रामबली सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ये समस्या पूरे जहानाबाद का चर्चित समस्या है । अखबारों के सुर्खियों में बार-बार आता रहता है और माननीया पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के समय में उस नाला पर एक पुल निर्माण शुरू हुआ था लेकिन अभी तक ढलाई नहीं हुआ है और बिजली के पोल पर बच्चे स्कूल आते जाते हैं महोदय । बुथ पर वोट देने में भी दिक्कत होती है तो मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि प्रमुखता के आधार पर और निधि उपलब्ध कराते हुए इस पुल का निर्माण कराया जाय । चूंकि अब नगर पंचायत काको हो गया है और अगर पुल बन जाय तो एक कि0मी0 की दूरी पड़ेगी महोदय, ऐसे सात कि0मी0 दूरी तय कर के नगर पंचायत के मुख्यालय जाना पड़ता है तो मेरा आग्रह है और इस आग्रह और उम्मीद के साथ कि यह पुल सरकार बनवायेगी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 23 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉक्टर एस0आर0रंगनाथन के जन्म दिन 12 अगस्त को सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाने की व्यवस्था करावें ।"

श्री जितेन्द्र कुमार राय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र, बिहार द्वारा राज्य के सभी गैर सरकारी अराजकीयकृत यथा प्रमंडलीय जिला केन्द्रीय अनुमंडलीय एवं विशिष्ट पुस्तकालयों में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉ0 श्री एस0आर0 रंगनाथन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 12 अगस्त को सभी अपने अपने पुस्तकालयों में लाइब्रेरियन डे के रूप में मानने हेतु निर्देशित किया जा चुका है । राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे के रूप में मानने से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । अत: मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, पहले से निर्देश है लेकिन कहीं मनाया नहीं जाता है हम लाइब्रेरी कमिटी के चेयरमैन बने उसके बाद हम अपने जिले में इसको करवाया था । कहीं मनाया नहीं जाता है फिर से इसकी देखलाभ करवा लें मंत्री जी। धन्यवाद, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 24 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-25 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0

श्री अली अशरफ सिद्दिकी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर विधान-सभा क्षेत्र के हबीबपुर, इमामपुर, शाहजंगी, जमनी और खीरी बांध पंचायत की जल निकासी के लिए हबीबपुर से गौराचक्की तक तथा हबीबपुर से गंगा के किनारे तक नाला के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करे ।"

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: नगर विकास विभाग को ट्रांसफर किया हुआ है । नाला निर्माण के संबंध में है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री: समय चाहिए ।

अध्यक्ष: वापस लेने के लिए अनुरोध तो कीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री: माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि हमलोग दिखवा लेंगे इसको, वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी: मैं वापस लेता हूॅ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 26 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-27 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के दिघवारा प्रखंड के कुदईया पंचायत के पुरषोतमपुर बारहगांवा एवं उन्नाहचक बाजार एन0एच0-19 के बीच माही नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल पर नदी की चौड़ाई लगभग 150 मीटर है । पुल स्थल के एक तरफ के बसावट उन्नाहचक को एन0एच0 19 से तथा दूसरी तरफ बसावट के पुरषोतमपुर बारहगांवा को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित केसरपुर - केरईया पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 2 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में लगभग 2.50 कि0मी0 पर पूर्व से पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान किया जाना है। पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को विभिन्न पथों से एकल सम्पर्कता प्रदत्त है एवं पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराते हुए आग्रह करता हूॅ कि इसका डी0पी0आर0 तक जमा हो गया है और यह जो जवाब बनाकर आया है वह बिल्कुल भ्रामक जवाब है और मैं भी कहता हूॅ अभी एक साथी कह रहे थे कि माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय तो हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद जी वहां से विधायक रहे हैं उनके जमाने से यह मांग चला रहा है। हम हर विधान-सभा के सत्र में उसको उठाते रहा हूॅ । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूॅ उपमुख्यमंत्री रहते तो उनसे खास आग्रह करता इसलिए इसको यह कहकर नहीं टाला जाय कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, विचार में इसको रखिये । इस आग्रह के साथ मैं इस संकल्प को वापस लेता हूॅ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-9/मधुप/19.12.2022

क्रमांक-28 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0
(अनुपस्थित)

क्रमांक-29 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला अन्तर्गत मैरवा, नवतन, दरौली, गुठनी और जीरादेई प्रखंडों को मिलाकर मैरवा को अनुमंडल का दर्जा दिलावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ-ही, मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है ।

प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार के पत्रांक 21111208 पार्ट दिनांक-22.06.2022 द्वारा प्रशासनिक इकाईयों के सीमा में दिनांक 31.12.2022 तक परिवर्तन नहीं किये जाने का ओदश संसूचित है ।

इस प्रकार मैरवा को अनुमंडल बनाने हेतु सम्प्रति प्रस्ताव नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, आग्रह के साथ कि भविष्य में इसको बना दिया जाय । चार प्रखंडों के विभाग का कार्यालय वहाँ चलता है और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है । बहुत दिनों से लोगों का डिमांड रहा है । अतः मैं माननीय मंत्री से आग्रह करते हुए कि इसको जल्द से जल्द करवाया जाय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के देवकुंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करावे ।"

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उक्त स्थल पर प्रतिदिन लगभग 300-400 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं तथा श्रावण माह एवं छठ पूजा के समय भीड़ होती है । वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा उक्त स्थल पर कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, देवकुंड धाम प्राचीन मंदिर है और वहाँ चमन ऋषि का आश्रम भी है । इसलिए वहाँ बहुत दूर-दूर से पर्यटक लोग जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि उसको देखवा लिया जाय और उसकी इनक्वायरी कराकर उसको विकसित किया जाय । इसी विश्वास के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-31 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के तिलौथु प्रखंड अंतर्गत पंचायत रामडीहरा के ग्राम फुलवरिया के आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत करावे ।"

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र रामडीहरा अभी सामुदायिक भवन के एक कमरे में संचालित है । विभागीय स्तर पर माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसित विधान सभावार नये निर्माण हेतु स्वास्थ्य केन्द्र को चिन्हित कर प्रतिवेदन की माँग विभागीय पत्रांक-240 दिनांक-28.10.2022 के द्वारा जिलाधिकारी से की गयी है जिसके आने के पश्चात् भवन निर्माण की कार्रवाई चिन्हित प्रक्रियानुसार प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

अतः अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-32 : श्री हरिभूषण ठाकुर बचोल, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-33 : श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधेपुरा अंतर्गत प्रखंड आलमनगर के अधीन ग्राम सिंहार स्थित हरैली धार ड्रेनेज पर ग्राम केशोपुर के निकट दुखा शर्मा के घर के आगे आवागमन की सुविधा हेतु एक आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ पूरब में केशोपुर बसावट अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता पंचायत द्वारा निर्मित पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ पश्चिम में केशोपुर ग्राम अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाइ0 अंतर्गत निर्मित आलमनगर से केशोपुर तक पथ से प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के अप-स्ट्रीम में लगभग 3 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल सम्पर्कता दिया जाना है। अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ से बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर केशोपुर एक रेवेन्यु विलेज है और उस रेवेन्यु विलेज के बीचोबीच हरेली धार ड्रेनेज जाती है । हरेली धार ड्रेनेज के पश्चिम भी रोड पर लोग बसे हुए हैं और हरेली धार ड्रेनेज के पूरब भी लोग आकर बसे हुए हैं । उस बीच में एक बॉस की चचरी का पुला बना हुआ है । हाल ही में छठ के करीब में एक आदमी की डूबने से मौत हो गई थी और तीन मौत पहले भी हो चुकी है, महोदय ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि बसावट की मैं चर्चा नहीं कर रहा, मैं इस पार से उस पार और उस पास से इस पार लोग कैसे आर-पार करें, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ । जब भविष्य में पुल का निर्माण करेंगे तो इसपर विचार रखेंगे। इस आशय के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आपसे मेरा आग्रह होगा चूंकि गैर सरकारी संकल्प देने वाले माननीय सदस्यों की संख्या ज्यादा है इसलिए आप अपने संकल्प को पढ़ें लेकिन उसके बाद जो उसपर आप विवेचना करते हैं, उसमें समय ज्यादा नहीं लगावें ।

क्रमांक-34 : श्री आबिदुर रहमान, स0वि0स0

श्री आबिदुर रहमान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखण्ड के बांडोप पोखरिया पंचायत से जोकीहाट प्रखण्ड को जोड़ने वाली सड़क में बकरा नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बांडोप बसावट अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता शीर्ष जी0टी0एल0एस0वाइ0 के अंतर्गत निर्मित सिंहेश्वर सिंह के घर से जिआउल मास्टर के घर तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ भीखा ग्राम अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता शीर्ष राज्य योजना अंतर्गत निर्मित ए0बी0एम0एम0 आर0ई0ओ0 पथ कैनन चौक से बनही पथ से प्राप्त है ।

अभिस्तावित पुल स्थल के अप-स्ट्रीम में लगभग 3 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में लगभग 2 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल सम्पर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ से बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री आबिदुर रहमान : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-10/आजाद/19.12.2022

क्रमांक-35 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-36 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-37 : श्री जिवेश कुमार, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-38 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसन छतौनी पी0डब्लू0डी0 पथ में मारर पुल के पहुंच पथ में टूटे हुए भाग में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण करावें ।"

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसन छतौनी पी0डब्लू0डी0 पथ में बागमती नदी के माडर घाट के पहुँच पथ में क्षतिग्रस्त कल्वर्ट के स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण हेतु प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर नावार्ड योजनान्तर्गत इस योजना को शामिल करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय जी, हम इसे वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-39 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-40 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-41 : श्री नारायण प्रसाद, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-42 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में हो रहे ब्रेनड्रेन को रोककर राज्य के विकास हेतु बिहार के मेधावी बच्चे जो देश अथवा विदेश के नामचीन प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराकर उन्हें बिहार में बुलाने संबंधी नीति बनावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : महोदय, श्रम संसाधन विभाग का है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो है उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है, 15.12.2022 को जिसका पत्रांक 1347 है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग और माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि श्रम संसाधन का है और श्रम संसाधन कह रहा है कि यह उद्योग का है और यह गैर सरकारी संकल्प है । इस संकल्प को माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुना दिया, आप दोनों हैं और यह गैर सरकारी संकल्प के उद्देश्य को समझ रहे हैं । इसलिए आप दोनों में से कोई तो इसका जवाब दें और माननीय सदस्य को संतुष्ट तो करें, प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह तो करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम अजय बाबू से आग्रह करेंगे कि जो ब्रेनड्रेन हो रहा है, निश्चित तौर पर सरकार इसे गंभीरता से लेगी और माननीय सदस्य अपना अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अजय कुमार सिंह : मैं दो-दो मंत्री महोदय के आग्रह पर अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-43 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-44 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : इनके गैर सरकारी संकल्प को पूछने के लिए श्री रामबलि सिंह यादव, माननीय सदस्य अधिकृत किये गये हैं । माननीय सदस्य श्री रामबलि सिंह यादव जी, इस प्रस्ताव को पढ़े।

श्री रामबलि सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत संझौली प्रखंड के बक्सर मुख्य नहर पर प्रेम नगर गांव के समीप पुल का निर्माण करावें । ''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह जो है मंझौली नहीं है, संझौली है । इसको ध्यान में रखेंगे ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत बक्सर शाखा नहर पर 15.20 कि0मी0 के पास अमेठीलॉक एवं 20.20 कि0मी0 पर रामपुर ग्राम के पास पुल निर्मित है । बक्सर शाखा नहर के 17.70 कि0मी0 के पास प्रेमनगर ग्राम अवस्थित है । प्रश्नगत मामले में मुख्य अभियंता, सिंचाई, सृजन, डिहरी द्वारा बक्सर शाखा नहर के प्रेमनगर गांव के पास एक अद्द दो पथीय लेन पुल निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन में कतिपय त्रुटियां पायी गयी । प्राक्कलन में

आवश्यक सुधार कर संशोधित प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-2324 दिनांक 09.12.2022 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई, सृजन को निर्देशित किया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामबलि सिंह यादव : महोदय, वहां के हम कार्यकर्त्ता रह चुके हैं और वहां की बहुत जरूरी समस्या है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के द्वारा बहुत ही स्पष्ट जानकारी दी गई है ।

श्री रामबलि सिंह यादव : महादेय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-45 : श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार लोक सेवा आयोग सहित राज्य चयन बोर्डों द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार की विडियोग्राफी कराकर उसका संबंधित अंश अभ्यर्थी के मांगने पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें ।"

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग सहित राज्य के अन्य चयन आयोग परीक्षा चयन प्रक्रिया एवं मानक के निर्धारण के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम है । वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना, केन्द्रीय चयन पर्षद, सिपाही भर्त्ती एवं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार की विडियोग्राफी नहीं करायी जाती है । साथ ही अन्य किसी भी राज्य के आयोग के द्वारा साक्षात्कार की विडियोग्राफी कराये जाने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है और न ही ऐसा करना व्यवहारिक है। वस्तुत: हजारों की संख्या में साक्षात्कार की विडियो का संधारण स्टोर करने में अत्यधिक स्टोरेज मेमोरी लगेगा और फिर इसको सर्च कर अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना तकनीकी दृष्टिकोण से काफी कठिन होगा । साथ ही ऐसे विडियो को लेकर अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने एवं परीक्षाफल में रूकावट डालने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता । साक्षात्कार समिति भी ऐसे विवाद, निराधार आरोप की आशंका से दबाव में रहेंगे । इससे साक्षात्कार की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है या फिर साक्षात्कार समिति में वे भाग लेने से परहेज भी कर सकते हैं । पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के उद्देश्य से साक्षात्कार की विडियोग्राफी नहीं कराने हेतु कई वैकल्पिक उपाय किये गये हैं । वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार को पारदर्शी बनाये रखने हेतु साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व अभ्यर्थी के उनके अनुक्रमांक के विरूद्ध एक रेडमोन्ड कोड उपलब्ध कराया जाता है । अभ्यर्थी इसी कोर्ड नम्बर को लेकर

साक्षात्कार चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हैं । चयन बोर्ड के समक्ष मात्र अभ्यर्थियों की योग्यता संबंधी आंकड़े ही रहते हैं । साक्षात्कार में उपस्थित विशेषज्ञों या चयन बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा अभ्यर्थियों से उनका नाम तथा उनके आवासीय पता या ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता, जिससे उम्मीदवार का साक्षात्कार में पहचान स्थापित हो सके । साक्षात्कार के उपरान्त उसके अंक को शिलबंद कर आयोग के वज्रगृह में रखा जाता है । अंतिम परिणाम बनाये जाने के समय परीक्षा शाखा द्वारा इसे खोल कर मेधा सूची तैयार की जाती है । इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य चयन आयोगों से संबंधित अधिनियम, नियमावली में इसका कोई प्रावधान भी नहीं है । इस प्रकार साक्षात्कार के समय पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखना आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे कृपया अपना संकल्प वापस लें ।

टर्न-11/शंभु/19.12.22

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प तो वापस लूंगी ही लेकिन इस सदन के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ और माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जो बच्चे मेरीटोरियस हैं, रीटेन में कटऑफ से अधिक मार्क्स लाते हैं और कहीं न कहीं इन्टरव्यू में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है । इसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई है इसीलिए मैं यह संकल्प सदन में लायी हूँ । इस भरोसे और विश्वास के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ कि सरकार इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-46 : श्री ललन कुमार,स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-47 : श्री विजय कुमार मंडल,स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-48 : श्री मिश्री लाल यादव,स0वि0स0

(श्री विनय कुमार चौधरी अधिकृत)

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पिडूड़ी कमलपुर कमला नदी में सुमन साह के घर एवं रघुनाथ यादव के खेत के नजदीक सरकार पुल का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थल से लगभग 400 मीटर नीचे डाउन स्ट्रीम में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कमला नदी पर तीन विंट का आर0सी0सी0 पुल निर्मित है । जिसकी लंबाई लगभग 90 मीटर है । नदियों पर पुल निर्माण का कार्य जल संसाधन विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है । संबंधित विभाग द्वारा पुल निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने पर विचार किया जा सकता है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : सही में यह जल संसाधन का नहीं था ये तो ग्रामीण कार्य विभाग का है । यह पुल बहुत ही आवश्यक है सरकार इसपर विचार करे और मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-49 : श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव,स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-50 : श्री सूर्यकान्त पासवान,स0वि0स0</u>

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय जिला के बखरी अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण करावे।''

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बखरी अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन अभी अंतिम रूप से नहीं किया जा सका है इसके लिए जिला पदाधिकारी, बेगुसराय से अनुरोध किया गया है कि भूमि प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य विहित प्रक्रिया अनुसार प्रारंभ कर दिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, यह महत्वपूर्ण अनुमंडल अस्पताल है बगल के अलौली विधान सभा और समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड को भी प्रभावित करता है । महोदय, जिला मुख्यालय की दूरी 32 से 40 कि0मी0 होने के चलते हमारे यहां के रोगियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, एक छोटा सा भवन में अस्पताल चलता है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वहां अविलंब भवन निर्माण कराया जाय । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 51 : श्रीमती स्वर्णा सिंह,स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-52 : श्रीमती संगीता कुमारी,स0वि0स0</u>

श्रीमती संगीता कुमारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया प्रखंड के नगर से गुजरनेवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पथ-2 एवं भभुआ रेलवे स्टेशन रोड से आनेवाली सड़क के नीचे (अन्डर पास) सड़क का निर्माण करावे।"

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ रोड रेलवे स्टेशन लिंक पथ प्रगति बनारसी औरंगाबाद सड़क एन0एच0-2 के चयनित कि0मी0 866.37 पर बांयी ओर स्थित है । उक्त जंक्शन के करीब 500 मीटर की दूरी पर औरंगाबाद की ओर बी0यू0पी0 पूर्व से निर्मित है तथा बनारसी की ओर करीब 370 मीटर पहले पी0यू0पी0 निर्माणाधीन है । उक्त बी0यू0पी0 एवं पी0यू0पी0 सर्विस रोड के माध्यम से रेलवे स्टेशन लिंक रोड एवं मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है । इस प्रकार भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के लिंक पथ के दोनों ओर काफी कम दूरी पर बी0यू0पी0 एवं पी0यू0पी0 निर्मित है जो सड़क उपयोगकर्त्ताओं को सहूलियत प्रदान करती है । पैदल यात्रियों के लिए चयनित कि0मी0 886.370 पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर के बीचोबीच राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है और आयेदिन नगरवासी दुर्घटना के शिकार होते हैं तो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने अंडर पास का निर्माण कराकर- कुछ दूरी पर जो कराया गया है । मैं राज्य सरकार से मांग करूँगी कि उपयुक्त जगह स्टेशन रोड के सामने अंडर पास निर्माण कराने का मैं आग्रह करती हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय मंत्री ने आपको यह जानकारी दी कि फुटपाथ के निर्माण की प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है ।

श्रीमती संगीता कुमारी : सर, वह दूरी पर है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने आग्रह नहीं किया ?

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्या से अनुरोध किया कि संकल्प वापस ले लें, हम जवाब के साथ ही अनुरोध किये हैं ।

श्रीमती संगीता कुमारी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-53 : श्री सिद्धार्थ पटेल, स0वि0स0</u>

श्री सिद्धार्थ पटेल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ वैशाली जिला के लगभग सभी प्रखंडों में घोड़परास के उत्पात से निदान की व्यवस्था करावे।"

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के फसल वाले क्षेत्रों में घोड़परास के कारण किसानों की बढ़ती समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया गया है । पंचायत के मुखिया को इसके लिए शक्ति दिया गया है । प्रशिक्षित शूटर का पैनल सभी जिलों में तैयार किया गया है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : माननीय मंत्री जी के प्रति आभार । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-54 : श्री पवन कुमार जायसवाल,स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-55 : श्री विद्या सागर केशरी,स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-56 : श्री जनक सिंह,स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-57 : श्री मिथिलेश कुमार,स0वि0स0

(अनुपस्थित)

टर्न-12/पुलकित/19.12.2022

क्रमांक- 58 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत स्थित टाउन हॉल का निर्माण करावें।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद् बोध गया एवं नगर परिषद् टिकारी में कोई अर्ध निर्मित टाउन हॉल नहीं है । नगर परिषद् शेरघाटी में प्रखंड कार्यालय में शेरघाटी द्वारा 20-25 वर्ष पूर्व अर्ध निर्मित टाउन हॉल अवस्थित है । उक्त अर्ध निर्मित टाउन हॉल के जीर्णोद्धार हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्य आदेश संख्या- 60, दिनांक- 08.02.2013 द्वारा नगर परिषद् शेरघाटी को

50 लाख रुपया आवंटित किया गया । कार्यापालक अभियंता, गया द्वारा निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अधूरे भवन की स्थिति काफी जर्जर है जिससे आर0सी0सी0 कार्यों में प्रयुक्त छड़ भी जंग के कारण काफी जर्जर हो चुके हैं । तदालोक के भवन के विशेषज्ञ भवन प्रमंडल के अभियंता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के पश्चात या उसे तोड़कर बनाना श्रेयस्कर होगा । उक्त के आलोक में नगर परिषद् शेरघाटी द्वारा भवन प्रमंडल गया से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है । नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 5333, दिनांक- 06.12.2022 द्वारा भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है । अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही नगर परिषद् शेरघाटी में स्थिति अर्ध निर्मित टाउन हॉल का जीर्णोद्धार निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : मैं अपना प्रस्ताव लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 59 : श्री प्रहलाद यादव, स0वि0स0

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के लखीसराय एवं किऊल स्टेशन के बगल किऊल नदी पर पथला घाट के नजदीक पुल का निर्माण करावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लखीसराय जिलान्तर्गत प्रश्नगत पुल का डी0पी0आर0 प्राप्त है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पुल निर्माण पर विचार किया जाएगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री प्रहलाद यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 60 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह एन0पी0एस0 को हटाकर ओल्ड पेंशन सिस्टम को राज्य में लागू करावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह वित्त विभाग का मामला है लेकिन माननीय सदस्य का जो अनुरोध है, इस तरह का कोई विचार अभी सरकार के समक्ष नहीं है। आगे देखा जायेगा अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, तत्कालीन भाजपा की केन्द्रीय सरकार ने ओ0पी0एस0 को समाप्त कर एन0पी0एस0 लागू करने का जो निर्णय लिया उसके पीछे पूंजीपतियों और शेयर मार्केट को बढ़ावा देना था । हर कर्मचारी तथा सरकार का जो कन्ट्रीब्यूशन 24 प्रतिशत है, उसे शेयर मार्केट में लगाने के लिए यह व्यवस्था की गयी थी । पहले जो पी0एफ0 और जी0पी0एफ0 होता था वह भी बन्द कर दिया गया है ताकि कोई कर्मी बचत न कर सके और मार्केट में पैसा खर्च करने के लिए विवश हो । इसलिए राज्य सरकार को इसे लागू करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए । फिर भी सरकार इसको देख लें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 61 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक- 62 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0</u>

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अन्तर्गत बारूण प्रखंड के बलिकरना में एक पावर सब स्टेशन का निर्माण करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल औरंगाबाद के पत्रांक- 1588, दिनांक- 15.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि औरंगाबाद जिला बारूण प्रखंड में वर्तमान में तीन अदद विद्युत शक्ति उप केन्द्र कार्यरत है । ग्राम बलिकरना में वर्तमान में विद्युत आपूर्ति, विद्युत शक्ति उप केन्द्र डेहरा के 11 के0वी0 पिपरा फीडर से की जा रही है, जिसकी कुल लम्बाई 13 किलोमीटर है । प्रश्नगत क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति तथा वोल्टेज की कोई समस्या नहीं है । अत: ग्राम बलिकरना में विद्युत शक्ति उप केन्द्र की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है । भविष्य में यदि विद्युत शक्ति उप केन्द्र की आवश्यकता होगी तो निर्माण पर विचार किया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय मंत्री महोदय से हम आग्रह करते हैं क्योंकि 12 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है और उस इलाके के अंदर पावर ड्रॉप बहुत ज्यादा होती है । हम चाहेंगे कि सरकार इस पर विचार करें और आने वाले समय में एक बार फिर से विचार करके इसको बनवाने की कृपा करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 63 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 64 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 65 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0विस0

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत एन0एच0-57 के रेणुगेट सिमराहा से श्रीनगर आर0सी0डी0 सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग की 40 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक- 1548, दिनांक- 25.02. 2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है । उक्त आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 66 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 67 : श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 68 : डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 69 : श्री अमर कुमार पासवान, स0वि0स0

श्री अमर कुमार पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मुजफ्फरपुर के प्रखंड मुशहरी अंतर्गत जीरोमाइल चौराहा पर फ्लाई ओवर का निर्माण करावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग । माननीय सदस्य का गैर सरकारी संकल्प का क्रमांक- 69 है ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेते हैं और समुचित कार्रवाई होगी । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अमर कुमार पासवान : जी बिलकुल । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 70 : श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक- 71 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0</u>

श्री ऋषि कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल के दाउदनगर में बस पड़ाव का निर्माण करावें।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, यह नगर विकास एवं आवास विभाग का नहीं है । यह संकल्प परिवहन विभाग से संबंधित है ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास को भेज दिया गया है । यह उन्हीं का है।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, दिखवा लेते हैं, प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य से आग्रह कीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपना संकल्प वापस लें ।

टर्न-13/अभिनीत/19.12.2022

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, दाउदनगर नगरपालिका 1885 में ही बन चुका था । महोदय, मेरा संकल्प किसी भी विभाग में जाये मुझे बस स्टैंड से मतलब है और वहाँ बस स्टैंड बने । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रोपर कहाँ जाना चाहिए, दिखवा लिया जायेगा । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-72 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत लदनियाँ प्रखंड के ग्राम पंचायत सिघपकला से नोनदरही के बीच सोनी नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल नोनदरही रोड पी0एम0जी0एस0वाई0 सिघपकला सीमा पथ में सोनी नदी पथ है । चैनेज 1665 मीटर पर अवस्थित है जिसकी लंबाई 2622 मीटर है । पथ एवं पुल मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनांतर्गत स्वीकृत है । उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं पथ का निर्माण कार्य प्रगति में है जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, पुल के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि पुल बन गया है लेकिन वह पुल अभी तक बना नहीं है । मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा है, मैं एक किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ गयी थी । यह पुल जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है लेकिन विभाग को बदल दिया गया है । यह जल संसाधन विभाग का मामला है, इसलिए माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि उसे दिखवा लें और जल सांसाधन विभाग के द्वारा उसको बनवाया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इसको दिखवा लीजिएगा और इस गैर सरकारी संकल्प को वापस लेने के लिए माननीय सदस्या से आप आग्रह करें ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, हम दिखवा भी लेंगे और इसकी सूचना भी माननीय सदस्या को दे दी जायेगी ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-74 : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-75 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-76 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-77 : श्री सतीश कुमार, स0वि0स0

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सरकार राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के मखदुमपुर विधान सभा अंतर्गत मखदुमपुर प्रखंड व काको प्रखंड को जोड़ने वाला चिलौरी पथ से निसरपुरा पथ का निर्माण करावे ।"

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्प में उल्लेखित निसरपुरा ग्राम को एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत स्वीकृत बारामोड़ से निसरपुरा पथ का कार्य प्रगति में है, निर्माण हो जाने के बाद संपर्कता प्रदत्त हो जायेगी एवं चिलौरी ग्राम को पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथ बेलथु मलाठी पथ से चिलौरी मिश्रबिघा पथ से संपर्कता प्राप्त है । निसरपुरा ग्राम एवं चिलौरी ग्राम के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण अभिस्तावित पथ आरेखन को किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । अतः इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों प्रखंड को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पथ है और दोनों प्रखंड के बंट जाने की वजह से, एक महत्वपूर्ण पथ के कनेक्ट नहीं रहने की वजह से 30 किलोमीटर दूर से, ये दोनों प्रखंड एक ही विधान सभा में हैं, 30 किलोमीटर लंबा सफर करके प्रखंडवासियों को एक-दूसरे से संपर्क करना पड़ता है । महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पथ है, इसलिए सदन से आग्रह करते हुए कि इस पर विचार किया जाय मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-78 : श्री विजय सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-79 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0

श्री विनय कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के गुरूआ प्रखंड अंतर्गत भूरहा में पुल निर्माण करावे ।"

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन प्रश्नगत पुल गया जिलांतर्गत रफीगंज कशमागुरूआ बरौंदा पथ, पथ किलोमीटर 25 में स्थित है जिसकी चौड़ाई 03 किलोमीटर है । इसके स्थान पर नया एच0एल0आर0सी0सी0 ब्रिज का निर्माण संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनय कुमार : ठीक है मंत्रीजी, धन्यवाद । इसको कबतक कराया जायेगा ? यह जरूरी है इसको करवा दिया जाय सर । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80 : श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलांतर्गत धोरैया प्रखंड के कुर्मा पंचायत के कुर्मा गाँव के पास मिरचैनी नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित धोरैया नावादा रोड कुर्मा मोड़ से कुर्मा मदरसा तक पथ के आरेखन पर अवस्थित है । अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु टेक्नोफिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गयी है । तकनीकी समीक्षोपरांत एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव होगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्रीजी के उत्तर से बहुत संतुष्टि मिली है लेकिन मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि यह पुल...

अध्यक्ष : जब आपको संतुष्टि मिल गयी तो वापस लेने की आवश्यकता है ।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, यह पुल चार पंचायतों के अलावे भागलपुर जिले के संघौला, पुंजवाड़ा और धोरैया को जोड़ता है और झारखंड को भी यह जोड़ता है । वर्ष 2002 में आवश्यक्तानुसार इस पर एक पगडंडी पुल का निर्माण कराया गया था । विगत वर्षों में वह क्षत-विक्षत हो गया है । जिस तरह से इनका उत्तर आया है मैं चाहूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो ।

इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-81 : श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड में आई0टी0आई0 कॉलेज की स्वीकृति एवं निर्माण करावे ।"

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के सात निश्चय योजनांतर्गत राज्य सरकार के अनाच्छादित अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा अनाच्छादित जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है ।

उल्लेखनीय यह है कि किशनगंज जिलांतर्गत कोचाधामन प्रखंड किशनगंज अनुमंडल में पड़ता है । उक्त अनुमंडल में पूर्व से ही सरकारी प्रशिक्षण संस्थान ठाकुरगंज, किशनगंज स्थापित है । इसके अतिरिक्त किशनगंज जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशनगंज की भी स्थापना की जा चुकी है । किशनगंज जिलांतर्गत स्थापित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कोचाधामन प्रखंड सहित सभी प्रखंडों में इच्छुक युवक-युवतियाँ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं ।

उपर्युक्त अतिरिक्त किशनगंज जिला में कोई भी अन्य सरकारी प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना का प्रस्ताव सरकार द्वारा विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लें ।

टर्न-14/हेमन्त/19.12.2022

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन आता है । वहां पर पढ़ाई का, खासकर आई0टी0आई0 की पढ़ाई बहुत जरूरी है । मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाय और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 82 : श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, स0वि0स0

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अन्तर्गत डगरूआ प्रखण्ड के टरियाधापी रिगाधार में पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ टरियाधापी अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत पिपरा से धापी पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ अभिस्तावित पुल के सटे शीर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत दसपतर से चांदपुर वाया छपरैली तक निर्मित पथ अभिस्तावित पुल

स्थल के अप स्ट्रीम में लगभग 500 मीटर पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों के पथ में एकल सम्पर्क पथ दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ से बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है एवं दूसरी तरफ से पथ निर्मित है ।

अत: अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-83 : श्री राकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखण्ड के सुढी पंचायत के मौलानाचक ग्राम के सामने 160 चैन खेदु खांधा के पास नहर में पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखण्ड के सुढी पंचायत के मौलानाचक ग्राम पैमार सिंचाई योजना से निकलने वाली बायां मुख्य नहर के 3.80 किलोमीटर के निकट अवस्थित है । इस स्थान पर नहर का रूपाकिंत जल स्राव 205 क्यूसेक है । निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहर का जल स्राव 150 क्यूसेक से 1000 क्यूसेक के बीच रहने पर दो पुलों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.60 किलोमीटर निर्धारित है । मौलानाचक ग्राम के पास प्रश्नगत स्थान से लगभग 0.80 किलोमीटर अप स्ट्रीम में तथा 0.50 किलोमीटर डाऊन स्ट्रीम में बायां मुख्य नहर पर पूर्व से पुल निर्मित है ।

अत: प्रश्नगत ग्राम के समीप पुल निर्माण निर्धारण मापदंडों के अनुसार अनुमान्य नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, यह जो नहर है, इसे पार करने के लिए इस पुल की आवश्यकता है । चूंकि किसान लोगों की जो खेती है नहर के उस पार है और उस पार जाने के लिए पुल ही एकमात्र माध्यम है, नहीं तो एक किलोमीटर आगे जाकर नहर को पार कर सकते हैं । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि भविष्य में इस

पुल का निर्माण करवा दें जिससे कि किसानों को लाभ हो सके । मैं इसी के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-84 : श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, स0वि0स0

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य में छोटे-छोटे पुलों का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में सम्मिलित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की प्रचारित मार्गदर्शिका में अलग से छोटे-छोटे पुल के निर्माण का प्रावधान नहीं है । परन्तु विभागीय संकल्प सं0-3439, दिनांक- 30.06.2017 के द्वारा सम्यक विचारोपरांत छिलका फॉल, चेकडैम, चेकवॉल्व के निर्माण की योजना को मार्गदर्शिका में सम्मिलित किया गया है तथा इस योजना के तहत विधानमंडल के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर कार्यान्वित करायी जाने वाली सम्पर्क पथ निर्माण सम्बंधी योजना में आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाता है । वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में अलग से छोटे-छोटे पुल के निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-85 : श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत पालीगंज नगर पंचायत के मुख्य बाजार में जाम से मुक्ति हेतु मौजूदा बस स्टैण्ड को पालीगंज स्थित कृषि विभाग की जमीन पर स्थानांतरित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर पालिका आम निर्वाचन, 2022 की तिथि की घोषणा हो चुकी है तथा आचार संहिता प्रभावी है । चुनाव संपन्न होने के उपरांत उक्त प्रस्ताव को बार्ड के समक्ष रखा जायेगा तथा बोर्ड के निर्णय के अनुसार पटना जिलान्तर्गत पालीगंज नगर पंचायत के मुख्य बाजार में जाम से मुक्ति हेतु

मौजूदा बस स्टैण्ड को पालीगंज स्थित कृषि विभाग की जमीन पर स्थानांतरित करने के अंतिम वर्गीय भूमि स्थानांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, यही कहना है कि घंटों वहां जाम लग रहा है । पालीगंज से कुरथा, जहानाबाद, गया कहीं भी जाना हो तो उसी रास्ते से जाना होता है और जो प्रस्तावित जगह हम बता रहे हैं, वहां कृषि विभाग की जमीन है और इस जमीन के 5 प्रतिशत हिस्से पर भी अगर बना दिया जाय, तो वहां पर दो एन0एच0 का कनेक्शन है, चौराहा है, तो काफी सहूलियत हो जायेगी । इसलिए इस पर सकारात्मक तरीके से सरकार विचार करे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-86 : श्रीमती कविता देवी, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-87 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0</u>

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद के प्रखण्ड रफीगंज में अरथुआ लोहरा रोड के धनावा मोड़ से कैलासपुर तक पक्की सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ के अनजुड़े बसावटों को सम्पर्कता देने हेतु विभागीय एप के माध्यम से सर्वे किया गया है जिसका सर्वे आई0डी0 नम्बर- 28772 है । तद्नुसार समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पहले भी इसके लिए अनुरोध किया था और इस तरह से 60 से 70 रोड हमारे यहां हैं जिनका सर्वे हो चुका है । लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में, शायद राशि की कमी है, राशि उपलब्ध हो जाने पर इस रोड के साथ-साथ और भी रोड का निर्माण होगा । इस आशा और उम्मीद के साथ कि हमारा रोड बनेगा, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 88 : श्री हरिनारायण सिंह, स0वि0स0

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला अन्तर्गत चण्डी प्रखण्ड के चण्डी बस स्टैण्ड PWD सड़क से सटे मुहाने नदी पर चण्डी-भगवानपुर पुराने RCC संकीर्ण पुल को तोड़कर नया RCC पुल का निर्माण करावे ।"

टर्न-15/धिरेन्द्र/19.12.2022

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल गोखलपुर-प्रतापपुर-सतनाग पथ से मलबिगहा पथ के आरेखन में है । पुराने संकीर्ण पुल के स्थान पर नये आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हरनौत से टेक्नोफिजिब्लिटी रिपोर्ट की मांग की गई है । तदनुसार, समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-89 : श्री अख्तरूल ईमान, स०वि०स०

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियाँ जिला के अमौर प्रखंड अंतर्गत गेरूआ-कसबा पथ के रसैली पुल (Package No.BR27R-250) एवं हरिपुर मलहना पथ के खाड़ी पुल (Package No.BR128B) जो निर्माणाधीन है पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित दो पुलों के निर्माण से संबंधित है । गेरूआ-कसबा पथ के रसैली पुल, उक्त पुल शीर्ष पी०एम०जी०एस०वाई० अंतर्गत परमान नदी पर निर्माणाधीन है । महोदय, दूसरा हरिपुर मलहना पथ के खाड़ी पुल, उक्त पुल भी पी०एम०जी०एस०वाई० अंतर्गत कनकई नदी पर निर्माणाधीन है । उक्त दोनों पुल के कार्यस्थल पर विगत वर्षों में आयी बाढ़ के कारण नदी के बहाव मार्ग में बदलाव हो जाने के कारण, कार्यस्थल की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ जाने

के कारण पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है । जिसके निराकरण हेतु विभागीय सचिव अपने पत्रांक-476, दिनांक-18.02.2022 द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को तकनीकी दृष्टि से मंतव्य के साथ परामर्श देने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में अभियंता प्रमुख (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-2993, दिनांक-06.07.2022 द्वारा मुख्य अभियंता (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), कटिहार द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर उपलब्ध कराये गए तकनीकी परामर्श से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके क्रम में विभागीय सचिव अपने पत्रांक-2742, दिनांक-14.10.2022 द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में अनुशंसित कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है । तदनुसार, अग्रेतर की कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। उपरोक्त वर्णित तथ्य के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों पुल रसैली और खाड़ी अमौर विधान सभा के लगभग चार लाख से ज्यादा की आबादी को प्रभावित किये हुए है और विगत नौ वर्षों से निर्माणाधीन है और समय पर निर्माण नहीं होने के नतीजे में नदियों का धारा परिवर्तन हो गया है । माननीय मंत्री जी, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, मैं समझता हूँ कि वहां का बड़ा संवेदनशील, उस क्षेत्र का सबसे संवेदनशील मसला है । लोग अक्रूर हो रहे हैं, लोग धरना पर आ गए हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं और हमलोगों को तो परेशानी है ही, सरकार के बारे में भी अच्छा विचार नहीं है कि इतने दिनों से नौ सालों से हमारा पुल नहीं बन रहा है । माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आ गए है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस साल वर्षा से पूर्व कम-से-कम काम करवा दिया जाए । एक विनती करूंगा कि अभी भी वहां पर, कश्ती पर पार होना बड़ा कठिन है, कश्ती उलट जाती है, हर साल लोग घाटों में डूब कर मरते हैं । एक कन्या डूबी शादी के बाद ही आज तक उसकी लाश नहीं मिली । इसलिए कम-से-कम वहां पर वर्षा से पूर्व निर्माण सुनिश्चित करा दिया जाय ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, हमलोग दिखवा लेंगे, इस पर विचार करेंगे । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, वापस तो लेना है ही लेकिन हम यह चाह रहे हैं कि वर्षा से पूर्व.....

अध्यक्ष : माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और जो गैर-सरकारी संकल्प का जवाब दे रहे हैं उनसे बातें हुई हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं इसको दिखवा

लूंगा । वैसी परिस्थिति में अब आपको चाहिए कि अपना गैर-सरकारी संकल्प वापस ले लें ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, मैं वापस लेता हूँ और यह आशा करता हूँ कि बरसात से पूर्व यह काम करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-90 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स०

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत रैणखरका पंचायत के इब्राहीमपुर में बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल इब्राहीमपुर घाट से बघौनी पथ के आरेखन पर अवस्थित है । इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावटों के अंतर्गत मोबाईल ऐप से किया गया है जिसका सर्वे आई०डी०-30631 है । उक्त पथ की लम्बाई 1.45 किलोमीटर एवं अभिस्तावित पुल की लम्बाई 150 मीटर होगी । तदनुसार, समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त पथ-सह-पुल का निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्थिति यह है कि वहां करीब-करीब चार से सात हजार लोग जो इतना दिन हो जाने के बावजूद भी, लोगों को पानी के उस पार रहने के कारण बहुत परेशानी होती है । मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा दिखवा लें ।

अध्यक्ष : ठीक है । आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : जी, महोदय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-91 : श्री मुकेश कुमार यादव, स०वि०स०

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाजपट्टी प्रखण्ड के सोनमनी टोल पुल निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलांतर्गत रसलपुर बाजपट्टी गाढा पथ के पांचवें किलोमीटर में प्रश्नागत सोनमनी टोल पुल निर्माण का डी॰पी॰आर॰ प्राप्त है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पुल निर्माण पर निर्णय लिया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-92 : श्री छोटे लाल राय, स॰वि॰स॰

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड दरियापुर के 10+2 उच्च विद्यालय दरीहरा का भवन निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय में 07 अतिरिक्त वर्ग कक्ष हैं जिनमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं पठन-पाठन कार्य करते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अतएव, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव को वापस तो लेंगे ही लेकिन इसमें मामला यह है कि दो-तीन-चार साल पहले उस भवन को जला दिया गया था, नष्ट हो गया था जबकि विधान सभा में बात आयी थी कि विद्यालय के उस भवन को इसी वित्तीय वर्ष में बना दिया जायेगा लेकिन अभी तक नहीं बना है । माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि भवन निर्माण कराने की कृपा करेंगे और इस वित्तीय वर्ष में तो समय नहीं है लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में उसे प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने की कृपा करेंगे । हम अपने संकल्प को वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-93 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स॰वि॰स॰

(अनुपस्थित)

क्रमांक-94 : श्री प्रकाश वीर, स॰वि॰स॰

(अनुपस्थित)

क्रमांक-95 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स॰वि॰स॰

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिला के प्रखंड खगड़िया सदर के हाजीपुर धोबीटोला वार्ड नं॰ 20 के एम॰जी॰ रोड में रश्मि स्वीट से स्व॰ छठु दास के घर तक जाने वाली सड़क को रामजी साह द्वारा सड़क की जमीन को किए गए अतिक्रमण से मुक्त करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : आप आग्रह तो कीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें।

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ लेकिन माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लिया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-16/सुरज/19.12.2022

क्रमांक-96 : श्री मनोज मंजिल, स0वि0स0

श्री मनोज मंजिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में कॉलेज में पढ़ने वाली अनु0 जाति0 एवं जनजाति छात्राओं के लिये आरा में 200 बेड एवं पटना में 500 बेड के छात्रावास का निर्माण करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-1164 दिनांक-28.03.2022 द्वारा राज्य स्कीम मद में अनुसूचित जाति आबादी वाले 131 प्रखंड एवं अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 5 प्रखंड अर्थात् कुल 136 प्रखंडों जिसकी आबादी 30 हजार से अधिक है एवं वर्तमान में राजकीय कल्याण छात्रावास निर्माण की स्वीकृति शेष है में एक-एक सौ आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास की स्थापना एवं निर्माण की स्वीकृति दी गयी है । वर्तमान में आरा में 25 आसन वाले डॉ0 भीमराव अंबेदकर महिला कल्याण छात्रावास, महिला कॉलेज के परिसर में एवं पटना में 50-50 आसन वाले डॉ0 भीमराव अंबेदकर महिला कल्याण छात्रावास मगध महिला कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय एवं 10+2 राजकीय बालिका उच्च

विद्यालय, बांकीपुर में संचालित है । राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में आरा एवं पटना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं के लिये वर्तमान में छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जानते हैं कि दलित गरीबों की, आदिवासियों की कितनी बच्चियां उच्चतर शिक्षा में, कॉलेज विश्वविद्यालय में आ पाती हैं । बिहार सरकार का ही आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि बिहार में 39 फीसदी बच्चे 10th क्लास तक जाते-जाते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बहुत कम ही बच्चियां कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जा पाती हैं । पहले तो मनुवादी, ब्रह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार नहीं था, संविधान में मिला तो अब गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं तो कुछ ही बच्चियां जा पाती हैं । आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का मुख्यालय है तो मात्र 25 बेड का है और प्रखंड मुख्याल में बात कर रहे हैं । मैं कह रहा हूं कि कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एस0सी0/एस0टी0 छात्राओं के लिये, महादलितों की बेटियों के लिये आरा में, पटना में छात्रावास बनाने की मांग मैं मंत्री महोदय से, सरकार से कर रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने आपको क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके संबंध में जानकारी दे दिये हैं और आपसे आग्रह भी किये कि अपना संकल्प वापस लीजिये । तो क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मैं तो संकल्प वापस लूंगा लेकिन मंत्री महोदय का जवाब, मेरा सवाल कुछ और है, संकल्प कुछ और है और जवाब कुछ और है ।

अध्यक्ष : इफ, बट में मत बोलिये चूंकि यह गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मैं मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप आरा में, पटना में एस0सी0/एस0टी0 बच्चियों के लिये यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों के लिये छात्रावास का निर्माण करावें, लड़कों के लिये है तो कुछ बच्चे उच्चतर शिक्षा में चले जाते हैं । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिये निर्धारित कार्य के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक-97 : श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0

श्री सुधांशु शेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विशनपुर मधवापुर एवं स्वास्थ्य उप केन्द्र सलेमपुर मधवापुर का निर्माण करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थलों पर वर्तमान में संवेदक के द्वारा दिनांक-12.12.2022 से निर्माण कार्य कराय जा रहा है, जिसके पूर्ण होने की अवधि कार्य प्रारंभ से 15 माह निर्धारित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूं कि वहां स्वीकृत किया गया था लेकिन बाद में वहां रोक लग गयी थी । इसी रोक को हटाने के लिये हमने यह प्रस्ताव लाया था लेकिन अभी वहां कोई कार्य नहीं चल रहा है । तो मैं मंत्री जी के नॉलेज में दे रहा हूं ।

अत: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-98 : श्री अजय यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-99 : श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सीवान जिलान्तर्गत महाराजगंज प्रखंड के ग्राम-जगदीशपुर एवं धनछुऑ गांवों को महाराजगंज नगर परिषद् में सम्मिलित करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री विजय शंकर दूबे, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा के दिनांक-05.06.2022 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि सीवान जिलान्तर्गत नगर पंचायत महाराजगंज के पूर्वी छोर पर जगदीशपुर एवं पश्चिमी छोर पर धनछुऑ नाम का गांव न ही किसी ग्राम पंचायत का हिस्सा है और न ही नगर पंचायत, महाराजगंज का तथा यह दोनों गांव नन पंचायत के रूप में दर्ज होने के कारण सरकार की विकास योजनाओं से वंचित है तथा इस संदर्भ में उक्त दोनों गांव को नगर पंचायत महाराजगंज में शामिल कर चुनाव से पूर्व अधिसूचना निर्गत करने का अनुरोध किया गया था । माननीय स0वि0स0 के उक्त पत्र के आलोक में इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, सीवान से

जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी । जिला पदाधिकारी सीवान से प्राप्त प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखित किया गया है । पूर्व में ग्राम-धनछुऑ, ग्राम पंचायत-रामपली पसनौली में कुल 03 राजस्व ग्राम पसनौली थाना नंबर-581, धनछुऑ थाना नंबर-582 एवं रामपली थाना नंबर-162 तथा ग्राम पंचायत कपिया निजामत में कुल 04 राजस्व ग्राम-कपिया निजामत थाना-157, कपिया जागीर थाना नंबर-158, इंदौली थाना नंबर-159 एवं जगदीशपुर थाना नंबर-160 शामिल थे । वर्ष 1998-99 में महाराजगंज क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, जिसके कारण ग्राम-धनछुऑ एवं जगदीशपुर को छोड़कर अन्य ग्रामों को अधिसूचित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था । इस अधिसूचित क्षेत्र को वर्ष 2002 में नगर पंचायत, महाराजगंज के रूप में घोषित किया गया । जनप्रतिनिधियों के लगातार मांग एवं ग्रामीण जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु उक्त दोनों गैर पंचायत जगदीशपुर थाना नंबर-160 को निकटतम ग्राम पंचायत-टेघरा तथा ग्राम पंचायत-धनछुऑ थाना नंबर-582 के निकटतम ग्राम पंचायत-तेवता में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु जिला पदाधिकारी, सीवान से दिनांक-20.01.2008 द्वारा सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया । उप सचिव पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2438 दिनांक-10.05.2018 पत्रांक-3921 दिनांक-20.07. 2018 एवं पत्रांक-6708 दिनांक-16.12.2018 के आलोक में उक्त दोनों गैर पंचायत राजस्व ग्राम को उनके निकटतम पंचायत में शामिल करते हुये वार्ड सृजन का प्रस्ताव सभी प्रक्रियों को पूरा करते हुये अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-9011 दिनांक-15. 01.2021 पत्रांक-384 दिनांक-20.02.2021 एवं पत्रांक-194 दिनांक-24.01.2022 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को भेजा गया है । राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा वार्ड सृजन का प्रस्ताव कतिपय कारणों से अब तक अनुमोदित नहीं किया जा सका है । नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1713 दिनांक-14.05.2020 द्वारा नगर निकाय गठन उत्क्रमण क्षेत्र विस्तार संबंधी दिये गये निदेश के पूर्व ही जुलाई 2019 में उक्त दोनों ग्राम को उनके निकटतम पंचायत में शामिल करने हेतु जिला गजट प्रकाशित किया जा चुका था, जिसके कारण उपर्युक्त दोनों ग्रामों को नगर पंचायत, महाराजगंज में शामिल करने पर विचार नहीं किया गया । जिला पदाधिकारी, सीवान के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि यह मामला गैर पंचायत ग्राम जगदीशपुर थाना नंबर-160 तथा गैर पंचायत ग्राम धनछुऑ के उनके निकटतम पंचायत में शामिल करने का मामला विचाराधीन है तथा इस हेतु जिला गजट भी प्रकाशित किया जा चुका है । उक्त कारणों से दोनों ग्राम को वर्तमान में नगर पंचायत महाराजगंज में जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपना संकल्प वापस लें ।

टर्न-17/राहुल/19.12.2022

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री और संयोग से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार भी मौजूद हैं । महोदय, स्वराज्य हुए 75 साल हो गये और दो ग्राम न पंचायत बन सके और न नगर परिषद् में शामिल हो सके । एक आदमी का राशनकार्ड नहीं है । मैं निर्वाचित होने के बाद उस गांव में गया तो लोगों ने कहा कि हम लोग कहीं नही हैं, हम वोटर नहीं हो सके हैं । महोदय, यह मामला विचित्र है । लोग पटना हाईकोर्ट में भी गये । हाईकोर्ट ने नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेश दिया है, मंत्री को भ्रामक रिपोर्ट दी गई है चूंकि ये देखते नहीं हैं अब विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री जी देखते हैं वे मौजूद हैं । जिस पत्रांक का हवाला दिया गया है, सारा अभिलेख मेरे पास है । विभाग अपने कोई इधर-उधर नहीं जा पायेगा, न्यायालय के चक्कर में फंसेगा सरकार की नाहक बदनामी होगी । माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने इस बात को बताया तो इन्होंने आश्चर्यचकित होकर के वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों को कहा कि आप पता करिये तो वित्त विभाग के अधिकारी को कहा गया कि सारी संचिकाएं तैयार हैं चुनाव के बाद हम नगर पंचायत में शामिल कर लेंगे और जिस पत्र का हवाला दिया गया है उस पत्र में 1713 में जो दिनांक-14.05.2020 को और उसके बाद एक वर्ष 2022 में जो पत्र आया है जिसमें जिला कलेक्टर, सीवान ने नगर पंचायत में शामिल करने की अनुमति मांगी है और नगर पंचायत में शामिल करने का बेस्ट मामला माना है फिर सरकार इधर-उधर कर रही है और नगर पंचायत के बड़े अधिकारी इस मामले को उलझाकर के दो पंचायत के 2200 लोगों का आप क्या करना चाहते हैं, राज्य से निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, समाप्त करता हूं । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जो विभाग देखते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि दोनों गैर पंचायतों को राजस्व ग्राम के कृषि निकाय में शामिल नहीं करने के कारण विकास कार्य एवं जातिप्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि नहीं जारी किये जा रहे हैं । महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में दोनों गांवों को नगर पंचायत महाराजगंज में शामिल करने का जो प्रस्ताव आया है उसको मंगाकर के उपमुख्यमंत्री जी देख लें, मुख्यमंत्री जी देख लें और दोनों गांवों को 75 साल में जो न्याय नहीं मिला ।

नीतीश कुमार जी की पॉपुलर सरकार जो राज्य में है जिनकी अनभिज्ञता में यह काम नहीं हो सका है इस गांव को शामिल करने की कृपा की जाय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस पर माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है और इसपर जो उचित कार्रवाई होगी और समस्या का समाधान निकालने का हम लोग जरूर प्रयास करेंगे और इस संबंध में अलग से बैठ भी जायेंगे । अत: माननीय सदस्य से चाहेंगे कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-100, श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बागी कुमार वर्मा नहीं हैं लेकिन उन्होंने माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार को अधिकृत किया है । माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार, श्री बागी कुमार वर्मा जी के संकल्प को आप पढ़ें ।

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिला के करपी प्रखण्ड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, हंसराजबाग का नया भवन निर्माण कराकर नवनिर्मित भवन में विद्यालय का संचालन करावें ।''

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, हंसराजबाग में कुल नामांकित बच्चों की संख्या-165 तथा शिक्षकों की संख्या 3 है । पूर्ण के दो कमरों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है जिसके कारण प्राथमिक विद्यालय, गुलजारबाग में टैग किया गया है जिसकी दूरी लगभग 500 मीटर है । विद्यालय भवन निर्माण हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2022-23 में चार कमरों की राशि की अधियाचना की गई थी परंतु भारत सरकार के द्वारा राशि की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है । पुन: राशि की अधियाचना सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना बजट वर्ष 2023-24 में की जायेगी । राशि स्वीकृति के पश्चात् विहित प्रक्रियानुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा । अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, बच्चों के भविष्य का सवाल है और सरकार गंभीर है, हम चाहेंगे कि इसकी स्वीकृति जल्द मिल जाय इस आशय के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, 30 सैकंड का समय चाहिए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं गैर सरकारी संकल्प को आप लोगों से पढ़वाकर के और सरकार ने अपना जवाब आपको दिया अब मैं आगे बढ़ गया हूं इसलिए आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, आसन का आदेश है आप स्थान ग्रहण करें । आप अब नहीं कह सकते, आप बैठिये, नियम-कानून से सदन चलेगा, आप बैठिये, आप एक सजग विधायक हैं आप बैठिये ।

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का सप्तम सत्र दिनांक-13 दिसंबर, 2022 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक-19 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल पांच बैठकें हुईं ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक-13 दिसंबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 की प्रति प्रभारी मंत्री, वाणिज्य एवं कर विभाग द्वारा सदन पटल पर रखी गयी । सप्तदश बिहार विधान सभा के षष्ठम् सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित विधेयक का विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल 17 जननायकों के निधन के प्रति शोक व्यक्त किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक-14 दिसंबर, 2022 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 का अधिकाई व्यय विवरण सदन में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक-15 दिसंबर, 2022 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग सदन द्वारा स्वीकृत हुई ।

दिनांक-16 दिसंबर, 2022 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का दिनांक-31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं दिनांक-31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन ''राजस्व प्रक्षेत्र'' बिहार में सतही सिंचाई

परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक-एक प्रति महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखे गये तथा उक्त प्रतिवेदन को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् इन पर लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(क्रमशः)

टर्न-18/मुकुल/19.12.2022

क्रमशः

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । उसी दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :

1) बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022
2) बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022
3) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022
4) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022
5) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022
6) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022
7) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022

सत्र के दौरान कुल-843 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 678 प्रश्न स्वीकृत हुए । इन स्वीकृत 678 प्रश्नों में कुल-30 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 26 के उत्तर प्राप्त हुए, कुल-543 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 522 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही, 105 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल-96 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 81 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 07 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-136 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 132 स्वीकृत हुए एवं 04 अस्वीकृत हुए । कुल-109 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 100 स्वीकृत एवं 09 अस्वीकृत हुईं । इस सत्र में कुल-100 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता, माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

सामाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष 2023 के शुभागमन में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्ज्वल भविष्य एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूं ।

माननीय सदस्यगण, अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।